राजस्थान सरकार

बजट 2015-2016

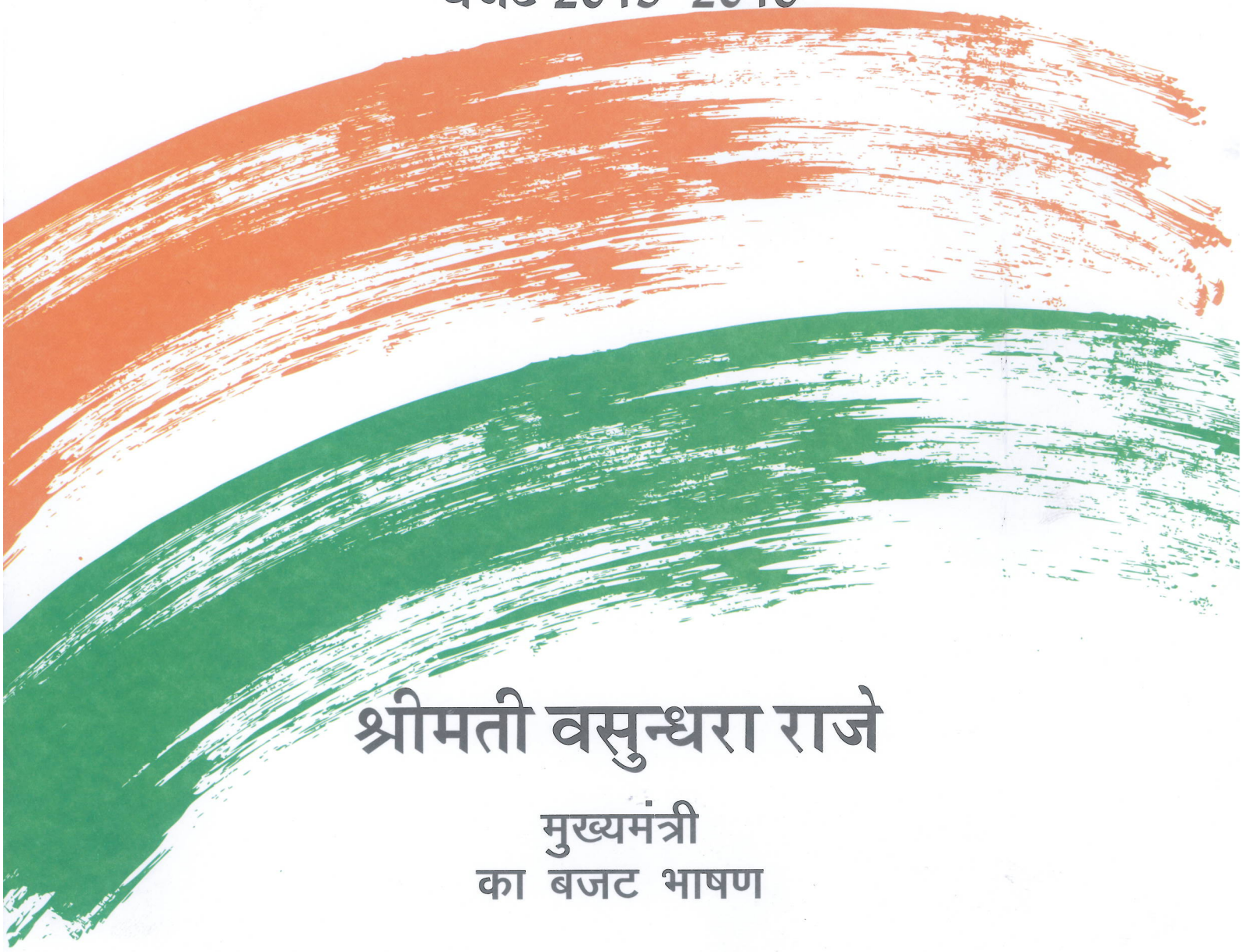

श्रीमती वसुन्धरा राजे

मुख्यमंत्री
का बजट भाषण

9 मार्च, 2015

चैत्र कृष्ण ३, विक्रम संवत् २०७१

बजट 2015 - 2016

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ।

2. हमनें 14 जुलाई, 2014 को राज्य का परिवर्तित बजट 2014–15 प्रस्तुत किया था। एक वर्ष से भी कम अन्तराल के पश्चात् आज मैं 2015–16 के आय–व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछले बजट में हमनें ये बताया था कि किस प्रकार की जर्जर अर्थव्यवस्था हमें विरासत में मिली थी। मैं उन बातों को यहाँ दौहराना नहीं चाहती हूँ, परंतु यह एक कठोर सत्य है कि कुल मिलाकर प्रदेश वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार रहा है।

3. टीम राजस्थान ने इस गम्भीर चुनौती को स्वीकार किया और सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और लगन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए सुधारात्मक कदम उठाने शुरू किए, ताकि आर्थिक हालात सुधर सके। जैसा कि मैं बार–बार कहती आ रही हूँ, इस गम्भीर स्थिति से उबर पाना कोई एक दिन, दो दिन या एक वर्ष का काम नही है बल्कि एक सतत् प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि जहां एक ओर आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है, वहीं दूसरी और जन–आकांक्षाओं की पूर्ति करना भी उतना ही आवश्यक है।

4. हमारे हौसले बुलंद हैं और हमनें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कठोर परिश्रम का मार्ग अपनाया है, ताकि हम जल्द से जल्द प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ा सकें। Capital Expenditure में वर्ष 2013–14 के मुकाबले वर्ष 2014–15 के

संशोधित अनुमान के अनुसार 40 प्रतिशत की वृद्धि होना संभावित है, अर्थात् हमने कर्ज को Assets Creation करने में लगाया है।

5. आर्थिक सलाहकारों की मानें तो पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में उठाए गए सराहनीय कदम हैं, परन्तु आर्थिक स्थिति मजबूत होने में अभी समय लगेगा। इतना अवश्य है कि, गत 14 माह के अथक प्रयासों से प्रदेश के प्रति देश–विदेश में एक सकारात्मक रूख उत्पन्न हुआ है और, निवेश का वातावरण बना है। निराशा और हताशा के माहौल की जगह आज आशा और विश्वास का वातावरण बना है।

6. मुझे याद है कि, किस प्रकार सुराज संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश की जनता ने अपना अटूट विश्वास और स्नेह हमारे प्रति दिखलाया। इस परिवार के कल्याण के लिए और इस गौरवपूर्ण प्रदेश की खुशहाली, उन्नति और सर्वांगीण विकास के लिए टीम राजस्थान पूर्णतया समर्पित है।

7. अध्यक्ष महोदय, हमनें अपने पिछले कार्यकाल में 6 आदर्शों को आधार मानते हुए प्रदेश की नीति निर्धारित की थी और इसके समग्र विकास की आधारशिला रखी थी। इस बार भी हमनें इसी दिशा में प्रयास किये और बिना समय गवांए कार्यभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के अन्दर ही 20 दिसम्बर 2013 को प्रदेश के मंत्रिमण्डल सहयोगियों और अधिकारियों के समक्ष विजन–2020 प्रस्तुत किया। जिसमें हमनें "A Healthy, Educated, Gender Sensitive, Prosperous, and Smiling Rajasthan, with a well developed economic infrastructure" की परिकल्पना का उल्लेख किया था।

http://finance.rajasthan.gov.in

8. हमारा उद्देश्य है कि हम प्रदेश को पुनः अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ला कर खड़ा करें। हाल ही में प्रदेश की 46 नगरीय निकायों तथा समस्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न कराए गए है। इनमें चुने गए महापौर, सभापति, जिला प्रमुख, जिला परिषद् सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं वार्ड पंचों को मैं बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि, सभी नव–निर्वाचित प्रतिनिधिगण जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और विजन 2020 की भावना के अनुरूप राजस्थान के नव–निर्माण में भागीदार बनेंगे।

9. प्रदेश का त्वरित विकास तभी संभव है, जब हम आर्थिक आधारभूत संरचनाओं के साथ–साथ सामाजिक आधारभूत संरचनाओं का विकास करें, जल संरक्षण और संग्रहण पर ध्यान दें, मानव संसाधन का विकास करें जिससे उनकी प्रतिभा उभर कर सामने आए और उनकी सकारात्मक ऊर्जा प्रदेश के विकास में लग सके।

10. हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ–साथ प्रत्येक परिवार को रोजगार के अवसर मिल सके और विकास की मुख्यधारा से कोई भी वंचित न रहे।

11. इन लक्ष्यों को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब शासन की शीर्ष इकाई जमीनी स्तर से जुड़ी रहे और सुशासन कायम रहे। समृद्ध और विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए जहाँ इन सभी आधार स्तम्भों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है, वहीं ''सबजन उत्थान और सबजन विकास'' के नारे को यथार्थ में बदलने के लिए मूलभूत आवश्यकता वाले विभागों जैसे–बिजली, पेयजल, जल संसाधन, कृषि,

http://finance.rajasthan.gov.in

सड़क, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ–साथ राजस्व न्यायालयों में लम्बित विवादों के शीघ्र निराकरण की दिशा में निरन्तर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

12. प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि, प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में वृद्धि हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति औसत आय (Per Capita Income) में भी वृद्धि हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमनें जिस प्रकार पिछली बार वर्ष 2007 में Resurgent Rajasthan का आयोजन किया था, उसी प्रकार का आयोजन इस वर्ष नवम्बर माह में रखा गया है, जिससे कि ओद्यौगिक निवेश का वातावरण बन सके और युवाओं को बेहतर रोजगार राजस्थान में ही मिल सके। राजस्थान ओद्यौगिक निवेश नीति–2014 तथा सौर ऊर्जा नीति–2014 इसी दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं।

13. मैं मानती हूँ कि, प्रदेश में आर्थिक प्रगति तथा Sustainable, Inclusive एवं Equitous Growth के लिए Priority Sectors को चिन्हित कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। मेरी परिकल्पना है कि, हम प्रदेश के हर गाँव–ढाणी को सड़क से जोड़ें, लोगों को 24X7 गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराएं और पीने के लिए शुद्ध पेयजल मुहैय्या कराएं। हर परिवार को पक्की छत मिले और हर बीमार तक चिकित्सा सुविधा पहुँचे तथा प्रदेश का कोई बालक और बालिका अशिक्षित नही रहे–इसी परिकल्पना को हमें साकार करना है। मेरा मानना है कि, शिक्षित महिला ही प्रगतिशील परिवार और प्रगतिशील राजस्थान की नींव है। मेरी सोच है कि, समाज के वंचित वर्ग एवं नि:शक्तजनो के लिए क्रियान्वित की जाने वाली सामाजिक योजनाएं

http://finance.rajasthan.gov.in

मात्र योजनाएं ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारे दायित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। विषम आर्थिक परिस्थिति के बावजूद भी हम इस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

14. आज आवश्यकता इस बात की भी है कि, सूचना प्रोद्यौगिकी तथा मोबाईल सेवा के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को सरकारी योजनाओं को 24x7 जोड़ा जा सके, ताकि वे इन योजनाओं का समुचित लाभ उठा सके।

15. विकेन्द्रिकृत आयोजना (Decentralized Planning) को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर जन–प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद जिलेवार कुछ कार्यों को चिन्हित किया गया है। इन कार्यों को संबंधित विभागों की कार्ययोजना में शामिल किया जायेगा। इन कार्यों का उल्लेख मैं आगे करूंगी।

16. यह बजट राजनीति नहीं बल्कि राजधर्म से प्रेरित बजट है। जनता पर केन्द्रित यह बजट न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे कि सही मायने में सशक्त और सम्पन्न राजस्थान का नव–निर्माण हो सके। इसी पुनीत उद्देश्य के साथ और जनता को सर्वोपरि रखते हुए, मैं आपके समक्ष बजट 2015–16 प्रस्तुत करती हूँ।

आर्थिक आधारभूत ढाँचा

सड़क

17. राज्य के समग्र विकास के लिए road connectivity बढ़ाना हमारी प्राथमिकता रही है। इस वर्ष हमारी योजना है कि 10 हजार किलोमीटर से अधिक विभिन्न श्रेणियों की सड़कों का निर्माण कार्य अथवा

http://finance.rajasthan.gov.in

नवीनीकरण के कार्य कराये जायें। गत् बजट में, मैंने इस महत्वपूर्ण आर्थिक ढांचे के निर्माण के लिए 20 हजार किलोमीटर लंबाई की सड़कों को निजी–जनसहभागिता के आधार पर विकसित किये जाने की घोषणा की थी। वर्ष 2015–16 में निम्न राज्य राजमार्गों पर कार्य प्रारंभ किया जायेगा:–

डूंगरगढ़–सरदारशहर–राजगढ़	159 किलोमीटर
श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर–बीकानेर	227 किलोमीटर
दूदू–मालपुरा–टोडारायसिंह	104 किलोमीटर
दर्रा–खानपुर–अकलेरा	89 किलोमीटर
सीकर–लाडनूं–नोखा	200 किलोमीटर

18. गाँवों की यात्रा के दौरान महिलाओं एवं ग्रामवासियों ने मुझे गाँवों की खस्ताहाल सड़कों एवं उन पर water logging के कारण हो रही परेशानियों से अवगत कराया था। इन परेशानियों को दूर करने के लिए हमनें ग्रामीण गौरव पथ योजना लागू की है। इसके तहत प्रथम चरण में 2 हजार 154 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 2 हजार 119 किलोमीटर लंबाई की आर.सी.सी. रोड तथा नाली निर्माण किये जाने की स्वीकृति जारी की है तथा ये कार्य प्रगति पर हैं। इसके साथ–साथ गाँवों की आपस में connectivity बढ़ाने के लिए वर्ष 2015–16 में 2 हजार किलोमीटर लंबाई की मिसिंग लिंक्स सड़कों के निर्माण की भी मैं घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष में इन कार्यों हेतु 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

19. Output and Performance based Road Contract पद्धति के तहत 8 वर्ष के लिए सड़कों का रख–रखाव सक्षम ठेकेदारों के माध्यम से कराये जाने की, मैंने गत् बजट में घोषणा की थी। प्रथम चरण में इस पद्धति को अलवर एवं धौलपुर जिले में लागू करने की कार्यवाही हमनें प्रारंभ कर दी है।

20. राज्य में 250 से 499 तक की आबादी वाले 600 गाँवों को 500 करोड़ रुपये की लागत से एक हजार 440 किलोमीटर लंबाई की सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है, जिसे दिसंबर, 2015 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, 250 व इससे अधिक आबादी के एक हजार 100 ढाणी–मजरों को सड़कों से जोड़ने का कार्य भी आगामी वर्ष में पूर्ण किया जायेगा। इस पर 960 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

21. आगामी वर्ष में निम्नलिखित कार्य भी करवाये जायेंगेः–

– सवाईमाधोपुर जिले में भैंरू दरवाजा से सवाईमाधोपुर शहर तक additional carriage way का निर्माण 30 करोड़ रुपये की लागत से।

– हनुमानगढ़ शहर एवं हनुमान गढ़ जंक्शन के मध्य घग्घर नदी पर उच्चस्तरीय पुल के पुनर्निर्माण का कार्य 40 करोड़ रुपये की लागत से।

– डूंगरपुर जिले के साबला बाईपास और तीजवाड़ से सिंटेक्स चौराहा वाया तहसील चौराहा सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण का कार्य 14 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से।

http://finance.rajasthan.gov.in

- धौलपुर जिले में सेवर से पाली तक सड़क निर्माण 4 करोड़ 43 लाख रुपये की लागत से।
- चित्तौड़गढ़ जिले में भोपाल सागर से नरेला वाया सूरजपुरा सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण का कार्य 76 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत से।
- चंबल नदी पर गेंता जिला कोटा तथा माखीदा जिला बूंदी के मध्य उच्च स्तरीय पुल का निर्माण 102 करोड़ रुपये की लागत से।
- भरतपुर के नदबई बाईपास एवं RoB का कार्य 105 करोड़ रुपये की लागत से।
- अलवर शहर में घोड़ाफेर सर्किल से अहिंसा सर्किल तथा कटी घाटी से अहिंसा सर्किल सड़क का विस्तारीकरण तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य 30 करोड़ रुपये की लागत से।

22. वर्ष 2015–16 में 4 हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई में non-patchable मुख्य जिला सड़कों, अन्य जिला सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य 847 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण कराये जायेंगे।

23. खनिज क्षेत्रों तक आवागमन के साधनों को बढ़ावा देने, खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा उस क्षेत्र में बसे गाँवों के लोगों की सुविधा के लिए खानों को जोड़ने वाली सड़कों का विकसित होना आवश्यक है। अतः इन क्षेत्रों की सड़कों का विकास कार्य 50 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

24. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 01 अप्रैल, 2014 को निर्माणाधीन 8 Rail over Bridges (RoBs) में से एक RoB भरतपुर–मथुरा राज्य राजमार्ग संख्या 24 का निर्माण कार्य इस वर्ष पूर्ण कर लिया गया है। पांच RoBs यथा गंगापुरसिटी–हिण्डौन जिला सवाईमाधोपुर, मकराना जिला नागौर, मनिया–मुरैना जिला धौलपुर, ढाबादेह–मोढक जिला कोटा व फुलेरा जिला जयपुर का निर्माण कार्य वर्ष 2015–16 में पूर्ण कर लिया जायेगा। साथ ही, लोहावट, जिला जोधपुर में राईकाबाग–जैसलमेर–रेलवे section, Railway CH 103/800 पर RoB का निर्माण 35 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

25. इसी तरह आगामी वर्ष में राज्य में निम्नलिखित Rail under Bridges (RuBs) का निर्माण 14 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया जायेगा:–

- गोगामेड़ी–तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़–105 कि.मी. पर
- तहसील भादरा–अनूप शहर, जिला हनुमानगढ़–124–125 कि.मी. पर
- सिद्धमुख–भादरा, जिला हनुमानगढ़–136 कि.मी. पर
- सिद्धमुख–नरवासी, जिला चूरू –160–161 कि.मी. पर
- नरवासी–सूरतपुरा, जिला चूरू –165 कि.मी. पर
- नरवासी–सूरतपुरा, जिला चूरू –169 कि.मी. पर
- नरवासी–सूरतपुरा, जिला चूरू –170 कि.मी. पर

http://finance.rajasthan.gov.in

सड़क परिवहन

26. आप सभी को यह जानकारी है कि RSRTC की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। हमनें RSRTC में सुधार के लिए अनेक उपाय सुझाये थे, जिन पर कार्यवाही जारी है। नागरिकों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध हों तथा रोडवेज की performance सुधरे, जिससे कि वह Self sustaining बनें, ये हमारा प्रयास और मंशा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए गत् वर्ष मैंने RSRTC के कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रखते हुए RSRTC को Reform Linked Assistance कार्यक्रम के तहत अनुदान देने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में भी reform linked assistance कार्यक्रम जारी रखते हुए 120 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही Rajasthan State Bus Terminal Authority का गठन भी किया जा रहा है। Authority को उपलब्ध कराये जाने वाली भूमि एवं संसाधनों हेतु 300 करोड़ रुपये RSRTC को उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया जा रहा है। इतना ही नहीं राज्य सरकार द्वारा यात्राओं पर दी जा रही विभिन्न रियायतों के लिए RSRTC को 160 करोड़ रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवायी जायेगी।

27. वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 23 हजार निजी बसों के माध्यम से परिवहन सेवायें उपलब्ध करवायी जा रही हैं। विगत् कुछ वर्षों से राज्य में सड़क तंत्र के विस्तार के कारण कई क्षेत्रों में सुरक्षित परिवहन सेवा का अभाव है। अतः मैं दूर–दराज के क्षेत्रों मे वैधानिक व सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 1 हजार 500 नये मार्ग खोलने की घोषणा करती हूँ। नये मार्गों पर लगभग

http://finance.rajasthan.gov.in

6 हजार अतिरिक्त वाहन चलेंगे तथा 26 हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़ेंगे।

28. राजस्थान में driving license एवं वाहनों को fitness certificate जारी करने की प्रणाली subjective एवं non-transparent है। मोटर वाहनों के fitness certificate एवं वाहन चालक लाईसेंस जारी करने हेतु सर्वप्रथम जयपुर में आधुनिक तकनीक से सुसज्जित Integrated Computerised Fitness Centre and Fully Automated Driving Track का निर्माण निजी जनसहभागिता के आधार पर करवाया जायेगा। जयपुर के पश्चात् इस योजना को अन्य सभी संभागीय मुख्यालयों पर भी लागू किया जायेगा।

29. गत् बजट में मेरे द्वारा परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए आगामी 2 वर्षों में चरणबद्ध रूप से computerisation किये जाने की घोषणा की गई थी। इसके अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में परिवहन विभाग द्वारा वाहन पंजीयन एवं driving licence स्मार्ट कार्ड पर जारी किये जा रहे हैं। अन्य राज्यों से आ रहे वाहनों हेतु tax जमा करवाने की online सुविधा लागू की जा चुकी है। साथ ही परिवहन विभाग के उड़न दस्तों द्वारा प्रयुक्त वाहनों में GPS भी लगाये जा रहे हैं। आगामी वर्ष में वाहन कर, वाहन पंजीयन, चालक लाईसेंस और अनुज्ञा पत्र से संबंधित सभी आवेदन online प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

30. सड़क सुरक्षा से संबंधित विभागों यथा परिवहन, पुलिस, शिक्षा, नगरीय विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के मध्य समन्वय स्थापित

http://finance.rajasthan.gov.in

कर सड़क सुरक्षा के प्रावधानों को कानूनी रूप से प्रभावी बनाने हेतु Rajasthan State Road Safety Authority Act बनाया जायेगा। यह Authority प्रदेश में सड़क सुरक्षा संबंधी नीतिगत निर्णयों की पालना सुनिश्चित करायेगी।

31. सड़क सुरक्षा के प्रति बच्चों को जागरुक एवं संवेदनशील बनाने के लिए राज्य के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा शिक्षा को सम्मिलित किया जायेगा।

हवाई परिवहन

32. गत् बजट भाषण में मैंने राज्य में उपलब्ध हवाई पट्टियों में सुधार कर उनमें वायुयान कंपनियों को राजस्थान में operate करने हेतु आकर्षित किये जाने का उल्लेख किया था। राज्य की हवाई पट्टियों के सुधार एवं विकास के लिए वर्ष 2015–16 में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

पेयजल

33. राज्य में पेयजल की कमी के साथ–साथ गुणवत्ता की भी गंभीर समस्या है। राज्य की कुल 1 लाख 21 हजार 133 गाँव–ढाणियों में से अब तक 70 हजार 171 गाँव–ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। हमारा प्रयास है कि पेयजल संबंधी योजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करें, ताकि बाकी गाँव भी पेयजल से लाभान्वित हो सकें।

34. गत् परिवर्तित बजट में, मेरे द्वारा पेयजल की 67 लंबित योजनाओं में से 12 योजनाओं को वर्ष 2014–15 में पूर्ण करने हेतु

http://finance.rajasthan.gov.in

289 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवायी गयी है। उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अब शेष 55 में से निम्न 12 योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्ण किये जाने हेतु 494 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा करती हूँ। इनमें से कुछ योजनायें ऐसी भी हैं, जो हमारे द्वारा वर्ष 2006–07 में प्रारंभ की गई थीं तथा अब तक पूर्ण हो जानी चाहिये थीं। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

- नागदा–अंता–बलदेवपुरा पेयजल परियोजना, जिला बारां
- पीपलाद पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़
- इन्द्रोंका–माणकलाव–दांतीवाड़ा पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर (वर्ष 2006 की स्वीकृति)
- देवानिया–नाथरू–शेरगढ़–छाबा–फेज प्रथम एवं द्वितीय पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर (वर्ष 2007 की स्वीकृति)
- नर्मदा डी आर परियोजना, जिला जालौर
- जालौर शहरी पेयजल परियोजना सुदृढ़ीकरण, जिला जालौर
- मल्लार–जोड़–हिंडालगोल, फलौदी, जिला जोधपुर
- कानसिंह की सिद–मण्डोर परियोजना, फलौदी, जिला जोधपुर
- जयपुर–बीसलपुर पेयजल परियोजना, जिला जयपुर परियोजना के अंतर्गत शेष बचे एक पैकेज के तहत खोनागोरियान क्षेत्र के लिए नवीन पेयजल वितरण केन्द्र का निर्माण किया जायेगा।
- बीसलपुर–जयपुर पेयजल परियोजना से जयपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा पानी लाने हेतु 200 एमएलडी क्षमता जलशोधन संयंत्र का सूरजपुरा पर निर्माण, जिला जयपुर

http://finance.rajasthan.gov.in

– अजमेर–पुष्कर शहरी सुदृढ़ीकरण पेयजल योजना, जिला अजमेर (वर्ष 2007 की स्वीकृति)

– बूंगी–राजगढ़ परियोजना, जिला चूरू एवं झुंझुनूं

35. आगामी वर्ष में निम्नलिखित योजनायें हाथ में ली जायेंगीः–

– गत् सरकार ने वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के बजट में घोषित नागौर लिफ्ट परियोजना फेज–II के कार्यों को चालू करने की घोषणा की थी, परंतु यह घोषणायें केवल कागजी ही रही। नागौर जिले में फ्लोराईड की समस्या है। इस परियोजना की क्रियान्विति प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

– किशनगढ़ जिला अजमेर की पेयजल सप्लाई योजना के पुनर्गठन का कार्य 185 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से

– पुनर्गठित शहरी पेयजल योजना, टोंक का कार्य 47 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से।

– प्रतापगढ़ शहर की विद्यमान पेयजल सप्लाई योजना का पुनर्गठन 94 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से।

– राजसमंद जिले की पेयजल समस्या के निदान के लिए साबरमती बेसिन की गोगूंदा में अंबावा गाँव के पास देवास चतुर्थ बांध का निर्माण कर राजसमंद बांध में diversion किये जाने हेतु DPR तैयार की जायेगी।

– खानपुर–झालावाड़ में शहरी पेयजल वितरण योजना के पुनर्गठन का कार्य 16 करोड़ 84 लाख रुपये की लागत से किया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

36. जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ पेयजल सप्लाई स्कीम का पुनर्गठन 2 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से एवं 133 RD तहसील जैसलमेर के पारेवार–सेलत–मोतीकिलों की ढाणी पेयजल योजना के पुनर्गठन का कार्य एक करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

37. वर्तमान में राज्य में 23 हजार 257 गाँव–ढाणियों के भू–जल में अधिक flouride and salinity के कारण पेयजल गुणवत्ता की समस्या है। गुणवत्ता प्रभावित गाँवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2015–16 में 2 हजार RO Plants की स्थापना की जायेगी।

38. वर्ष 2015–16 में एक हजार solar energy based borewell की स्थापना की जायेगी। इन borewells को प्राथमिकता से प्रदेश के उन स्थानों पर लगाया जायेगा, जहां नियमित विद्युत आपूर्ति में बाधा आती है अथवा भू–जल स्तर नीचे जाने के कारण हैंडपंपों का संचालन संभव नहीं है। इस हेतु 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

39. राज्य की जनता जल योजनाओं को दुरुस्त करने हेतु वर्ष 2015–16 में 139 करोड़ 55 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, प्रदेश में हैंडपंपों के वार्षिक रख–रखाव के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

40. बीकानेर संभाग के दौरे के दौरान, मैंने देखा कि संभाग के चारों जिलों बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर में विभाग द्वारा संधारित डिग्गी से संचालित पेयजल योज़नायें रख–रखाव के अभाव में

http://finance.rajasthan.gov.in

ठीक से काम नहीं कर रही हैं। इन योजनाओं में बनी डिग्गी तथा टंकी की साफ–सफाई एवं maintenance, filter plant, inlet channel से डिग्गी तक खुले नाले के स्थान तक पाईप से जोड़ना, ट्यूबवेल्स को चालू करना तथा पाईप लाईन के लीकेज के दुरस्तीकरण की आवश्यकता है। इस वर्ष इस कार्य के लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

ऊर्जा

41. मैंने पहले भी अवगत कराया है कि किस तरह गत् सरकार राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को debt trap में छोड़ गई। इन कंपनियों को अब पुराने कर्जे चुकाने के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं। 31.03.2014 तक इनका accumulated loss 77 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। यह घाटा देश के 8 उत्तर–पूर्वी राज्यों के संकलित कर्ज से भी ज्यादा है। जब इन कंपनियों की वित्तीय हालत इतनी चिंताजनक थी तो, यह मेरी समझ से बाहर है कि गत् सरकार ने जो Financial Restructuring Programme (FRP) वर्ष 2012 में लागू किया, वह मात्र 3 वर्ष के लिए ही क्यों था? वर्ष 2013 में देर से लागू की गई FRP के तहत अप्रेल 2015 के पश्चात् बैंकों द्वारा इन DISCOMs को ऋण उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इन DISCOMs पर भारी वित्तीय संकट की स्थिति बन गई है। इस स्थिति से उभरने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

42. इस गंभीर वित्तीय स्थिति से DISCOMs को उभारना हमारे लिए चुनौति है तथा इस संबंध में कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। मैं माननीय सदस्यों को

http://finance.rajasthan.gov.in

अवगत कराना चाहूँगी कि FRP के तहत इसके प्रभावी क्रियान्वयन एवं monitoring के लिए एक अधिनियम पारित करना अनिवार्य था, परंतु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा यह नहीं किया गया। अब हमें शीघ्र ही विधानसभा में Rajasthan Elecricity Distribution Management Bill लाना पड़ेगा। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि राजकीय विद्युत वितरण निगम ऐसे operational व financial कदम उठाये कि उपभोक्ताओं को reliable और adequate विद्युत आपूर्ति हो और विद्युत वितरण निगमों का भी financial turnaround हो। इन विषम परिस्थितियों के बाद भी राज्य सरकार द्वारा पिछले 14 माह में गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करायी गयी है और आगे भी उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे।

43. फागी व अंता में GSS की स्थापना कर राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य हो गया है, जिसने 765 के.वी. प्रसारण तंत्र की स्थापना की है। प्रसारण तंत्र के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में चित्तौड़गढ़ में 400 के.वी. का एक ग्रिड सब–स्टेशन स्थापित किया जायेगा। साथ ही, 220 के.वी. के 6 तथा 132 के.वी. के 16 ग्रिड सब–स्टेशन भी स्थापित किये जायेंगे। 400 के.वी. का एक ग्रिड सब–स्टेशन उदयपुर में तथा जोधपुर से उदयपुर तक 400 के.वी. की नई लाईन का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

44. राज्य में वर्ष 2015–16 में वितरण तंत्र को सुदृढ़ व विकसित करने हेतु 33 के.वी. के 200 नये सब–स्टेशन स्थापित किये जायेंगे।

http://finance.rajasthan.gov.in

45. दिसंबर 2013 से आज तक किसानों को 34 हजार से अधिक कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं। वर्ष 2015–16 में भी 40 हजार कृषि कनेक्शन जारी किये जायेंगे।

46. राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 816 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, हनुमानगढ़ तथा बाड़मेर जिले में 1 हजार 864 ढाणियों का विद्युतीकरण एवं 14 हजार 578 ढाणियों में सघन विद्युतीकरण कर 5 लाख 40 हजार विद्युत कनेक्शन दिये जायेंगे। इससे 1 लाख 60 हजार बीपीएल परिवार लाभान्वित होंगे।

47. उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए जयपुर, अजमेर व जोधपुर डिस्कोम में centralised call centre आरंभ किये जायेंगे। इन centres की स्थापना के साथ पूरे राज्य में ऊर्जा क्षेत्र की शिकायतों के निवारण की केन्द्रीकृत व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।

48. घरेलू लाईटिंग में बिजली बचत हेतु LED के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए ESCO Model योजना प्रारंभ की जायेगी।

49. राज्य में सौर ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति, 2014 जारी की गयी है। इस नीति की सफलता इस बात से आंकी जा सकती है कि नीति लागू होने के बाद राज्य में 14 हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु Sun Edison Solar Power, Azure Power एवं अन्य के साथ MoU साईन किए गए है तथा 26 हजार मेगावॉट के सोलर पार्क विकसित करने हेतु Adani Enterprises,

http://finance.rajasthan.gov.in

Reliance Power, IL&FS Ltd., Essel Infra Projects के साथ Joint Venture Agreements या MoU किए गए हैं। हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को पुरस्कृत भी किया गया है।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

50. पर्यटन, कला एवं संस्कृति का विकास हमारी प्राथमिकता है। वर्ष 2015–16 में पर्यटन, कला एवं संस्कृति क्षेत्र के लिए 244 करोड़ 46 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 68 प्रतिशत अधिक है।

51. प्रचार–प्रसार के सभी उपलब्ध माध्यमों का समुचित उपयोग करते हुए राजस्थान को आकर्षक पर्यटक destination के रूप में प्रोजेक्ट किया जायेगा। इसके लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, देशी पर्यटकों के समक्ष राजस्थान को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करने हेतु domestic travel mart का आयोजन किया जायेगा एवं जयपुर शहर को MICE (Meetings, Incentive, Conference and Exhibitions) destination के रूप में विकसित किया जायेगा।

52. राज्य के पर्यटन स्थलों के रख–रखाव के अभाव के साथ साथ आवश्यक सुविधाओं जैसे approach road, signages, ramps एवं जनसुविधाओं की भी कमी है। पर्यटन विकास के लिए निम्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं:–

— मानगढ़धाम, बांसवाड़ा का विकास कार्य।

http://finance.rajasthan.gov.in

— जयसमन्द झील, उदयपुर का विकास कार्य।

— शेखावटी क्षेत्र में हवेलियों का संरक्षण एवं आधारभूत सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास कार्य।

— चौबुर्जा–गंगा मंदिर–जामा मस्जिद–लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर पुराना शहर, करौली एवं नक्की झील, माउंट आबू के चारों तरफ के प्रमुख मार्ग तथा दरगाह व निकट के क्षेत्र–King Edward Memorial, अजमेर में हेरिटेज walk way का विकास कार्य।

— पर्यटन स्थल काकूनी व भंडदेवरा, जिला बारां का विकास कार्य।

— गावड़ी तालाब, झालावाड़ का सौंदर्यकरण एवं झालावाड़ जिले में कोल्वी बिंदायका एवं झालरापाटन में चंद्रावत जी की बावड़ी के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के कार्य।

— जैसलमेर में स्थित कुलधारा गाँव में 13वीं शताब्दी के अवशेष के restoration and preservation के साथ–साथ अन्य विकास कार्य।

— जैसलमेर के सोनार किले का पुनरुद्धार कार्य करवाया जायेगा।

आगामी वर्ष में पर्यटन स्थल के विकास कार्यों के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

53. प्रदेश की अमूल्य धरोहर का संरक्षण करने हेतु वर्ष 2015–16 में 20 करोड़ रूपये की लागत से निम्न कार्य करवाये जायेंगे:–

— अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, जोधपुर, पाली, बीकानेर, सीकर एवं जैसलमेर के राजकीय संग्रहालयों के विकास कार्य।

http://finance.rajasthan.gov.in

- हाड़ौति पेनोरमा, जिला बारां, करणीमाता पेनोरमा, जिला बीकानेर, संत सुंदरदास पेनोरमा, जिला दौसा, लोक देवता रामदेव जी की पेनोरमा, जिला जैसलमेर तथा लोक देवता पीपाजी पेनोरमा, जिला झालावाड़ का कार्य।
- स्वतंत्रता संग्राम पेनोरमा सुगाली माता मूर्ति सहित, आउवा, जिला पाली एवं शौर्य उद्यान, जिला झुंझुनूं के विकास कार्य।

देवस्थान

54. गत् वर्ष स्वीकृत किये गये कार्यों को जारी रखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु 20 करोड़ रूपये की लागत से विभिन्न मंदिरों की मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य करवाये जायेंगे।

वन

55. पर्यटन सीजन में रणथम्भोर टाईगर रिजर्व में निर्धारित carrying capacity से कई गुना अधिक पर्यटक रणथम्भोर भ्रमण हेतु आते हैं। बढ़ते हुए पर्यटक दवाब के दृष्टिगत रणथम्भोर टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र आमली वन खंड में एक टाईगर सफारी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

56. उदयपुर में एक नया बॉयोलोजिकल पार्क तैयार हो चुका है। साथ ही जयपुर और जोधपुर में भी एक–एक बॉयोलोजिकल पार्क का कार्य प्रगति पर है। अब मैं बीकानेर में 25 करोड़ रुपये की लागत से बीछवाल बॉयोलोजिकल पार्क की स्थापना करने की घोषणा करती हूँ।

57. गत् बजट में चूरू में nature park बनाने की घोषणा की गयी थी, जिसके लिए 7 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवायी जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

58. जयपुर–पुष्कर बाईपास मुख्य मार्ग पर 20 हेक्टेयर क्षेत्र में हर्बल गार्डन तथा वन खंड नोलक्खा, जिला झालावाड़ में स्मृति वन विकसित किया जायेगा। इन कार्यों पर 2 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

59. वन क्षेत्र के निकट रहने वाले लोगों के विकास, उनकी वनों पर निर्भरता कम करने, रोजगार उपलब्ध करवाने, वन्यजीव तथा वनों की सुरक्षा के लिए वन धन योजना रणथम्भोर टाईगर रिजर्व, राष्ट्रीय मरूद्यान, जैसलमेर, माउंटआबू, कुंभलगढ वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जवाई conservation reserve में pilot basis पर लागू की जायेगी। इस हेतु वर्ष 2015–16 में 7 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

60. रणथम्भोर, सरिस्का टाईगर रिजर्व तथा जवाई leopard conservation reserve की पेरीफेरी में बसे गाँवों में क्रमशः 5 हजार, 5 हजार एवं 2 हजार gas connection जारी करने हेतु 2 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

निवेश एवं आर्थिक वृद्धि

उद्योग

61. गत् बजट घोषणा के क्रम में हमनें Rajasthan Investment Promotion Scheme-2014 लागू कर दी है। इस योजना में राज्य के पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों, thrust sectors यथा ceramic, glass, डेयरी, MSME, Electronic System Design and Manufacturing, Plastic to Oil Manufacturing, Power Loom, Textile, पर्यटन एवं Industrial गैस क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं।

http://finance.rajasthan.gov.in

62. राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए वर्ष 2015–16 में Resurgent Rajasthan का आयोजन किया जायेगा। Resurgent Rajasthan में सहभागी उद्योगों को भूमि की तत्काल उपलब्धता हेतु land bank बन रहा है। साथ ही, Ease of doing business के तहत उद्यमियों को आवश्यक स्वीकृतियां online प्रदान करने की व्यवस्था के लिए जिला उद्योग केन्द्र व उद्योग आयुक्त कार्यालय का 3 करोड़ रुपये की लागत से कंप्यूटरीकरण किया जायेगा।

63. अलवर जिले के टपूकड़ा क्षेत्र में Honda Corp के निर्माण संयंत्र का उद्घाटन फरवरी 2014 में किया गया था। इस उद्योग के साथ अनेक सहायक इकाइयों की स्थापना की संभावना को ध्यान में रखते हुए होण्डा वेंडर्स के लिए औद्योगिक क्षेत्र करौली, जिला अलवर में 125 एकड़ भूमि में एक नये जोन की स्थापना की जायेगी।

64. Electronics Systems, Design and Manufacturing (ESDM) को बढ़ावा देने के लिए सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला अलवर में green field electronic manufacturing cluster के विकास हेतु लगभग 50 एकड़ भूमि आरक्षित रखी गयी है। साथ ही, IT एवं ESDM उद्योग के लिए एक dedicated zone बनाने के लिए कलड़वास एक्सटेंशन, उदयपुर में 127 एकड़ भूमि आरक्षित रखी गयी है।

लघु उद्योग

65. पूर्व के कुछ वर्षों में medium, small and micro enterprises पर राज्य सरकार का focus कम हो गया है। इन उद्योगों से निवेश एवं

http://finance.rajasthan.gov.in

रोजगार बढ़ने के साथ–साथ, नवीन entrepreneurs को भी establish होने का मौका मिलता है। इस क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए हम निम्न कदम उठायेंगेः–

- MSME Sector के लिए नई price preference policy लायी जायेगी।
- MSME को प्रोत्साहन देने के लिए एक MSME Facilitation Centre विकसित किया जाएगा।
- IT, garment making, electronics जैसे क्षेत्रों में start-up ventures एवं budding entrepreneurs हेतु plug and play facilities व incubation centres की स्थापना की जायेगी, जिससे कि इन क्षेत्रों में ऐसे नये उद्यमी को easy entry एवं exit की सुविधा मिल सके। इसके तहत राजसिको की सोडाला स्थित भूमि पर समस्त सुविधायुक्त परिसर विकसित किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा राजसिको को 8 करोड़ 50 लाख रुपये का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
- खादी क्षेत्र में design development, product upgradation तथा marketing support के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
- लघु, खादी एवं ग्राम उद्योग के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा समर्थित अनेक संस्थाओं के कार्यों में over lapping है। अतः इन संस्थाओं की समीक्षा कर restructuring की जायेगी।
- Common Effluent Treatment Plant की स्थापना तथा प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा legal framework बनाया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

साथ ही, पाली जिले में वर्तमान में स्थापित CETP को zero liquid discharge plant में परिवर्तित करने का कार्य करवाया जायेगा।

— Indian Institute of Craft and Design, Jaipur (IICD) को राजस्थान के 10 Major Languishing Crafts के documentation के लिए 10 लाख रुपये एवं अनुसंधान सुविधाओं के लिए 20 लाख रुपये उपलब्ध करवायेगी।

66. देश की राजधानी दिल्ली, सब्जियों का एक बहुत बड़ा consumption centre है। इस बाजार में राज्य की सब्जियों की आपूर्ति बढ़ाने से प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि होगी। राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत दिल्ली के निकटवर्ती राज्य के जिलों के लिए विशेष प्रावधान किया जायेगा। आगामी वर्ष में mission के तहत इस पर 15 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

67. प्रदेश के प्रत्येक संभाग के एक उत्कृष्ट इंजीनियरिंग एवं MBA महाविद्यालय में युवा उद्यमियों के लिए incubators की स्थापना की जायेगी। प्रत्येक incubator की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा। साथ ही, नये उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 3D printing एवं robotics lab की स्थापना भी की जायेगी, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।

खनन

68. भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा 31 प्रधान खनिजों को अप्रधान खनिज घोषित किया गया है। अब राज्य के 98 प्रतिशत खनन पट्टे एवं क्वारी लाईसेंस अप्रधान खनिजों की श्रेणी में आ गये हैं, जिनका

http://finance.rajasthan.gov.in

विनियमन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के तहत होगा। इससे आने वाले समय में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे तथा राजस्व में वृद्धि होगी।

कृषि एवं पशुपालन

कृषि एवं उद्यानिकी

69. राज्य में पंचायत समिति स्तर पर 248 एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 2 हजार 500 किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में 59 पंचायत समिति एवं 1 हजार 410 ग्राम पंचायत स्तर के शेष रहे किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण पूर्ण करा लिया जायेगा। इन केन्द्रों को क्रियाशील करने के लिए 5 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से फर्नीचर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

70. वर्ष 2015–16 में किसान भाईयों को ख़रीफ व रबी मौसम में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 1 लाख मैट्रिक टन DAP का अग्रिम भंडारण किया जायेगा। जिस पर 55 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

71. राज्य में ऐसे अनेक प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। इनके तकनीकी ज्ञान तथा अनुभव का लाभ राज्य के अन्य किसानों को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ऐसे किसानों की पहचान कर, इन्हें honorary extension workers के रूप में मान्यता दी जायेगी ताकि इनकी निःशुल्क सेवायें अन्य काश्तकारों को भी मिल सके। इनके खेतों पर अन्य काश्तकारों को exposure visits भी करायी जायेगी। इस हेतु एक विस्तृत योजना तैयार की जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

72. समय की मांग है कि खेती में chemicals का कम से कम प्रयोग किया जाये तथा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाये। जैविक खेती के क्षेत्र मे उत्कृष्ठ कार्य करने वाले राज्य के तीन कृषकों को प्रति वर्ष राज्यस्तरीय अवार्ड देने की मैं घोषणा करती हूँ।

73. चयनित कृषकों को नवीन कृषि तकनीक की जानकारी के लिए देश–विदेश में भ्रमण करवाया जायेगा।

74. राज्य में किसानों को उचित दरों पर सब्जियों की गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य बीज निगम द्वारा राज्य में उगाई जाने वाली सब्जियों के बीजों का उत्पादन प्रारंभ किया जायेगा। इस हेतु आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा। साथ ही, बीजों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु उदयपुर में बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी। इसके अतिरिक्त, बीजों के उत्पादन एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु चौमूं जिला जयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, गुढामलानी, जिला बाड़मेर एवं बानसूर, जिला अलवर में नये विस्तार केन्द्र खोले जायेंगे। कोटा संभाग के समस्त जिलों में भी एक–एक विस्तार केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है।

75. ख़रीफ 2015 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही जिले के जनजाति, गैर–जनजाति बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवार के कृषकों तथा बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों के सहरिया जनजाति, गैर–जनजाति बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवार के 2 लाख कृषकों को शंकर मक्का certified बीज के मिनि किट्स वितरित किये जायेंगे, इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

76. राज्य के पश्चिमोत्तर जिलों में जैतून की खेती की विपुल संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2015–16 में कृषकों को, 200 हेक्टेयर क्षेत्र में जैतून की पौधारोपण हेतु, अधिकतम 48 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जायेगा।

77. नागौर जिले में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

78. राज्य के 12 लाख किसानों को subsidised rates पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए राज्य की तीनों DISCOMs को वर्ष 2015–16 में कुल 6 हजार 116 करोड़ 58 लाख रुपये की tariff subsidy उपलब्ध करवायी जायेगी।

79. वर्ष 2014–15 में सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य ब्याज दर पर किसानों को फसली ऋण की व्यवस्था को यथावत् रखते हुए वर्ष 2015–16 में काश्तकारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 17 हजार 500 करोड़ रुपये के फसली सहकारी ऋण वितरित किये जायेंगे। इसके लिए 370 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये जायेंगे।

80. इसके साथ–साथ सहकारी बैंकों को ब्याज अनुदान हेतु 150 करोड़ रुपये भी उपलब्ध करवाये जायेंगे।

81. हमारी सरकार ने वर्ष 2014–15 में दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ काश्तकारों को वर्ष 2015–16 में भी State Land Development Bank के माध्यम से दिया जायेगा एवं इस हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

82. वर्ष 2015–16 में 100 ग्राम सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण के लिए 10 लाख रुपये प्रति समिति कुल 10 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे। साथ ही, पूर्व में निर्मित गोदामों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए भी 10 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।

83. राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो सके, इस हेतु हमें existing बांधों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए राज्य से बाहर जा रहे excess पानी को भी रोकना होगा। राज्य में पूर्व में निर्मित परियोजनाओं की water use efficiency बढ़ाने तथा जल के समुचित उपयोग हेतु, मैं निम्न प्रस्ताव करती हूँ:–

- पंचायती राज संस्थानों को स्थानांतरित तालाबो में से 35 का जीर्णोद्धार 35 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण करवाया जाएगा।
- 53 सिंचाई परियोजनाओं की bench marking study करवाई जा चुकी है। वर्ष 2015–16 में 70 अन्य सिंचाई परियोजनाओं की bench marking study करवाकर इन सभी परियोजनाओं को उनकी designed efficiency के स्तर पर लाने हेतु चरणबद्ध रूप से आवश्यक कार्य करवाये जायेंगे।
- बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, जोधपुर, जालौर, धौलपुर, करौली तथा बूंदी जिले में 90 करोड़ रुपये की लागत से 32 जलाशयों के जीर्णोद्धार के कार्य प्रारंभ कर इनमें से 17 कार्यों को वर्ष 2015–16 में पूर्ण किया जायेगा। इस हेतु 36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही विभिन्न जिलों के 77 जलाशयों के जीर्णोद्धार कार्यों की DPR तैयार की जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

— जयपुर, भरतपुर, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिले की 33 सिंचाई परियोजनाओं को 15 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किया जायेगा। साथ ही चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, कोटा तथा जयपुर जिले के 27 बांधों एवं नहरों के जीर्णोद्धार हेतु DPR तैयार करवाई जायेगी।

— आगामी वर्ष में कोटा, बूंदी, टोंक, श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में 53 हजार 612 हेक्टेयर क्षेत्र में 118 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में इसे पूरा करवाया जायेगा।

— भीलवाड़ा जिले के जैतपुरा डेम की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 21 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

— बारां गोपालपुरा तहसील किशनगंज मध्यम सिंचाई परियोजना का पुनरुद्धार 20 करोड़ रुपये की लागत से।

— बांसवाड़ा की माही परियोजना के विद्यमान नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण का कार्य आगामी तीन वर्षों में 110 करोड़ रुपये की लागत से।

— भविष्य में बनायी जाने वाली परियोजनाओं में sprinkler एवं ड्रिप पद्धति से सिंचाई की अनिवार्यता लागू की जायेगी। साथ ही पूर्व निर्मित सिंचाई परियोजनाओं में भी sprinkler एवं ड्रिप पद्धति लागू करने की कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

84. जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजस्थान में पूरे देश का मात्र एक प्रतिशत जल उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में सतही जल की एक–एक

http://finance.rajasthan.gov.in

बूँद–बूँद संग्रहण करना हमारा नैतिक दायित्व है। इसी क्रम में, मैं निम्न घोषणायें करती हूँ:–

– वर्षा जल, सतही जल, भू–जल तथा soil moisture पर आधारित four water concept के तहत साबरमती, लूणी, west बनास तथा सूकली बेसिन में वर्ष 2015–16 में 115 माईक्रो सिंचाई परियोजनाओं को 300 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण कर 5 हजार 265 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

– वर्ष 2014–15 में बांसवाड़ा जिले में माही नदी की सहायक बुनाद व झालावाड़ जिले में चंबल की सहायक आहू के बेसिन में 263 minor irrigation tanks के catchment क्षेत्रफल 1 लाख 33 हजार 491 हेक्टेयर में four water concept के तहत कार्य हाथ में लिया गया है। वर्ष 2015–16 में इस कार्य के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। जलग्रहण विकास विभाग द्वारा कराये जा रहे इस कार्य के साथ अन्य विभाग द्वारा कराये जा रहे four water concept आधारित कार्य भी Rajasthan River Basin Authority की देखरेख में कराये जायेंगे।

– झालावाड़ जिले में गुराड़िया एवं रोशनबाड़ी लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण 100 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा। इन दोनों परियोजनाओं से झालरापाटन तथा पिड़ावा तहसील के 16 गाँवों की 3 हजार 109 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

– चूरू जिले में इंदिरागांधी नहर परियोजना की चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर प्रणाली के शेष सीमित क्षेत्र में sprinkler system से सिंचाई के कार्य 70 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

85. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में शेष रहे 11 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र तथा नर्मदा वृहद सिंचाई नहर परियोजना में शेष रहे 7 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को खोला जाकर इन परियोजनाओं को पूरा किया जायेगा। इस क्षेत्र में भी sprinkler system से सिंचाई लागू की जायेगी।

86. टोंक जिले की ढीबरू सागर, झालावाड़ जिले की पीपलाद मध्यम सिंचाई परियोजना, जयपुर जिले की मामतोरी, चित्तौड़गढ़ जिले की सांकल खेड़ा, मालादेवी एवं धाधड़ा, प्रतापगढ़ जिले की सिरसी का नाका तथा बांसवाड़ा जिले की भीखाभाई सागवाड़ा नहर लघु सिंचाई परियोजनाओं को इस वर्ष पूर्ण किया जायेगा। जिससे 8 हजार 71 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

पशुपालन एवं डेयरी

87. प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन की अहम भूमिका है। राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए मैं निम्न घोषणायें करती हूँ:–

– 200 उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही 600 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इन पर 13 करोड़ 17 लाख रुपये का व्यय होगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

– 26 तहसीलों में पशुधन चल आरोग्य इकाइयां स्थापित की जायेंगी। इस पर अनुमानित व्यय 54 लाख रुपये होगा।

88. जयपुर शहर में पांच बत्ती के पास बहुद्देश्यीय पशु चिकित्सालय संचालित है। वर्तमान में यह क्षेत्र अत्यधिक भीड़भाड़ वाला हो गया है तथा बड़े पशुओं को इस चिकित्सालय पर लाना कठिन हो गया है। अतः इस भूमि का redevelopment कर इससे प्राप्त आय से जयपुर के बाहरी क्षेत्र में आवश्यकतानुसार एक से अधिक उच्च स्तरीय बहुद्देश्यीय पशु चिकित्सालय निर्मित किये जायेंगे।

89. पशु चिकित्सालय भवनों में काफी लंबे समय से मरम्मत एवं पुताई का कार्य नहीं होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये चिकित्सालय स्वयं ही बीमार हैं। इन चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था की भी समस्या है। अतः वर्ष 2015–16 में 1 हजार संस्थाओं में मरम्मत, पुताई, सफाई व्यवस्था हेतु 3 करोड़ 88 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

90. पशुपालन गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु प्रदेश स्तर पर प्रतिवर्ष expo एवं संभाग स्तर पर पशु प्रदर्शनियों का आयोजन किया जायेगा। प्रदर्शनी में पशुपालकों के साथ–साथ राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाए एवं विभिन्न उत्पादक कंपनियां भाग लेंगी।

91. पशुपालन शिक्षा के विस्तार के लिए phased manner में निम्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं:–

– Post Graduate Institute of Veterinary Education and Research, जयपुर में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा। इस पर 5 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

– डग, जिला झालावाड़ में 2 करोड़ रुपये का व्यय कर Malvi Cattle Breeding Farm की स्थापना की जायेगी एवं वेटनरी डिप्लोमा कोर्स भी प्रारंभ किया जायेगा।

92. Camel Milk Research के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से राज्य सरकार तथा National Institute of Animal Bio Technology द्वारा Camel Genetics तथा Immunology पर केन्द्रित Research परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जायेंगे। इसके साथ–साथ आगामी वर्ष में Camel Genetics & Immunology पर Department of Bio Technology, भारत सरकार के सहयोग से परियोजना प्रारम्भ की जाएगी।

मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास

93. प्रदेश के समग्र विकास के साथ–साथ समावेशी विकास होना अति आवश्यक है। इसी क्रम में मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, जनजाति एवं अल्पसंख्यक विभाग के लिए इस वर्ष 7 हजार 854 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित कर रही हूँ, जो कि संशोधित अनुमानों के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक है। साथ ही इनके विकास हेतु मैं निम्न घोषणायें कर रही हूँ:–

– राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित 200 छात्रावासों एवं 17 आवासीय विद्यालयों में आगामी वर्षों में सोलर स्ट्रीट लाईट एवं होम लाईट सिस्टम की स्थापना।

– उक्त छात्रावासों के रख–रखाव एवं उनमें अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु आगामी वर्ष में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।

- संबल ग्राम विकास योजना का अन्य योजनाओं के साथ convergence करते हुए 4 हजार 110 गाँवों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करवाये जायेंगे। इस हेतु वर्ष 2015–16 में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के तहत दिया जाने वाला मुआवजा पीड़ित को समय पर मिले तथा इसकी tracking करने के लिए एक web portal बनाया जायेगा। भविष्य में इसे भामाशाह योजना से जोड़ा जायेगा।
- राज्य में सुविधायुक्त गैर–सरकारी वृद्धाश्रमों को मान्यता प्रदान करने एवं संचालन के लिए नियमों में प्रावधान कर इनकी rating की जायेगी।
- नि:शक्तजनों की सुविधार्थ 5 करोड़ 49 लाख रुपये की लागत से राजकीय भवनों में ramps निर्माण।
- नि:शक्त विद्यार्थियों के लिए 99 अधिकृत संस्थाओं द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों के लिए आगामी वर्ष में 7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2014–15 में पालनहार योजना से 1 लाख 26 हजार से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015–16 में भी इस योजना के लिए 171 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- हरियाली–जिला जालौर एवं धनबाड़ा जिला झालावाड़ में निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों के आवासीय विद्यालयों में कला संकाय के साथ–साथ विज्ञान संकाय भी खोला जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

- वर्ष 2015–16 में 901 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे। इन केन्द्रों के संचालन पर 10 करोड़ 40 लाख रुपये का वार्षिक व्यय होगा।
- गुजरात की Padkar योजना की तर्ज पर जयपुर में शुरू किये गये बालिकाओं के लिए self defence programme को आगामी वर्ष में 5 करोड़ रुपये का व्यय कर अन्य सभी जिलों में लागू किया जायेगा।
- वर्ष 2015–16 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र में 100 नये माँ–बाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे। इन पर लगभग 3 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- जनजाति उपयोजना एवं सहरिया क्षेत्र में 1 हजार 339 माँ–बाड़ी डे–केयर सेंटरों पर 6 साल से 12 साल तक के 40 हजार 170 बच्चों के पोषाहार प्रबंध के लिए 75 लाख रुपये का व्यय कर गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के पशुपालकों का दूध एकत्रित करने हेतु संबंधित डेयरियों को 3 करोड़ रुपये की लागत से 50 बल्क कूलर उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में बालिकाओं के लिए वर्तमान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर एवं आबू रोड में संचालित 4 आश्रम छात्रावासों को बालिका खेल छात्रावास में परिवर्तित किया जायेगा एवं प्रतापगढ़ में एक नवीन बालिका खेल छात्रावास प्रारंभ किया जायेगा। इन छात्रावासों में गुणवत्तापूर्ण खेल प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक लगाये जायेंगे। इस पर 1 करोड़ 71 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

- वर्ष 2015–16 में अल्पसंख्यक बाहुल्य चयनित ब्लॉक्स में 44 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से निम्न infrastructure development के कार्य करवाये जायेंगे:–

  - जिला जैसलमेर के सांकड़ा ब्लाक में 10 एवं सम ब्लाक में 4 स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन का निर्माण।
  - निकच एवं उंटवाल–रामगढ़, खिदरपुर, चौपानकी इंदौर और करौली–तिजारा–जिला–अलवर एवं झाड़पा–चौहटन–जिला बाड़मेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण।
  - किशनगढ़बास, लक्ष्मणगढ़–जिला अलवर, नगर–जिला भरतपुर, सेडवा (चौहटन) जिला बाड़मेर, हनुमानगढ़ व टोंक में ITI के भवन का निर्माण।
  - तिजारा–जिला अलवर में राजकीय कला महाविद्यालय के भवन विस्तार का कार्य।
  - जोधपुर, कोटा, रामगढ़–अलवर एवं फतेहपुर–सीकर में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए 4 नये छात्रावास भवनों का निर्माण 9 करोड़ रुपये की लागत से बनाये जायेंगे।

- मदरसों में शिक्षा सहयोगियों को मानदेय, शिक्षा सामग्री तथा कंप्यूटर इत्यादि की सुविधाओं के लिए मदरसा बोर्ड को 63 करोड़ रुपया दिये जाने का प्रावधान।

http://finance.rajasthan.gov.in

युवा मामले एवं खेल

94. राज्य के अधिक से अधिक युवा खेल से जुड़ें तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए राज्य में खिलाड़ियों को निम्न सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगीः–

- सवाईमानसिंह स्टेडियम, जयपुर के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 8 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही, प्रदेश के अन्य स्टेडियमों के लिए भी विकास कार्य एवं संधारण के लिए 19 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- तीरंदाजी एवं शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में National Academy for Archery and Shooting की स्थापना की जायेगी।
- राज्य में बालकों के लिए हॉकी तथा बास्केटबाल हेतु नयी खेल अकादमियों की स्थापना की जायेगी।
- खेल संघों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी की जायेगी। वर्तमान में राज्य स्तर पर दैनिक भत्ता 200 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 300 रुपये है जिसे बढ़ाकर क्रमशः 300 रुपये एवं 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इससे 1 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।
- राज्य में चयनित 6 खेलों में राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु आगामी वर्ष में 70 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
- क्रीडा परिषद के पास 119 विशेषज्ञ खेल प्रशिक्षक उपलब्ध हैं, जो पर्याप्त नहीं हैं, अतः अनुबंध पर अल्पकालिक प्रशिक्षक नियुक्त

http://finance.rajasthan.gov.in

कर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। जिस पर 2 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आयेगा।

— राज्य में Archery, Shooting, Riding, Basket Ball एवं Hockey में प्रतिभावान खिलाड़ियों को सही उम्र पर खोजने के लिए इन खेलों के लिए talent search योजना शीघ्र ही लागू की जायेगी। चुने हुए खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा खेल छात्रवृत्ति भी दी जायेगी।

— भारत सरकार द्वारा देय राशि के अतिरिक्त Summer व Winter Olympic Games विजेता को स्वर्ण पदक प्राप्त होने पर 75 लाख रूपए, रजत पदक प्राप्त होने पर 50 लाख रूपए तथा कांस्य पदक प्राप्त होने पर 30 लाख रूपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार से Asian Games तथा Common Wealth Games में स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख रूपए, रजत पदक विजेता को 20 लाख रूपए तथा कांस्य पदक विजेता को 10 लाख रूपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ–साथ ऐसे पदक विजेताओं को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 220 वर्ग मीटर के आवासीय भूखण्ड का आवंटन निःशुल्क किया जायेगा। पदक विजेता खिलाड़ियों में से स्वर्ण पदक विजेता को class II तथा रजत व कांस्य पदक विजेता को class III के पदो पर पुलिस विभाग तथा खेलकूद विभाग में उपरोक्त पदों की पात्रता पूर्ण होने पर नौकरी भी प्रदान की जाएगी।

— Sports Complex जिला उदयपुर में 14 करोड़ रुपये की लागत से Indoor Stadium का निर्माण करवाया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

95. राज्य में संचालित योग ट्रेनिंग सेंटर्स के Accreditation की policy तैयार की जा रही है। साथ ही, accreditation rating अनुसार इनको one time grant देने की योजना बनायी जायेगी।

शिक्षा:

96. वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में लगभग 3 लाख 34 हजार शिक्षकों की उपलब्धता के बावजूद भी राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर ठीक नहीं है। Annual Status of Education Report-2014 के अनुसार राज्य के राजकीय विद्यालयों की पांचवीं कक्षा में अध्ययनरत आधे से अधिक विद्यार्थियों को दूसरी कक्षा के स्तर का भी ज्ञान नहीं है। इस स्थिति में सुधार के लिए उपलब्ध संसाधनों के consolidation और समुचित उपयोग की आवश्यकता है। मैं इस वर्ष स्कूल शिक्षा के लिए 21 हजार 788 करोड़ 97 लाख रुपये का प्रावधान कर रही हूँ जो कि वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 16 प्रतिशत अधिक है।

97. प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु हमनें इस वर्ष 5 हजार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है। हमारे इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की transition rate बढ़ेगी। इस वर्ष नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अतः मैं घोषणा करती हूँ कि शेष रही 657 ग्राम पंचायतों, जहां निजी अथवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, में phased manner में चयनित स्कूलों को 12वीं कक्षा तक क्रमोन्न्त किया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

शैक्षिक गुणवत्ता एवं आधारभूत सुविधाओं के मापदण्ड तय कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की मैं घोषणा करती हूँ।

98. वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में 63 मॉडल स्कूलों हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति स्कूल 3 करोड़ 2 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे। इकाई लागत में वृद्धि होने के कारण अभी तक इनका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। गत् सरकार द्वारा इन विद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त बजट उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण राज्य के विद्यार्थी इन मॉडल स्कूलों से वंचित रहे। अगले तीन वर्षों में 237 करोड़ 90 लाख रुपये का अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाकर इन मॉडल स्कूलों का निर्माण कराया जायेगा।

99. इसी प्रकार 71 मॉडल स्कूल ऐसे हैं, जिनका निर्माण कार्य पूर्व में करवाया गया है। परंतु केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि से इन विद्यालयों के भवनों का निर्माण केन्द्रीय विद्यालय के स्तर के अनुरूप किया जाना संभव नहीं है। इन भवनों का निर्माण केन्द्रीय विद्यालय के अनुरूप करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आगामी तीन वर्षों में 200 करोड़ 66 लाख रुपये का अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाया जायेगा।

100. वर्तमान में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लाकों में से 125 ब्लाकों में शारदे बालिका छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में 24 और छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारंभ किया जायेगा। शेष 37 शारदे बालिका

http://finance.rajasthan.gov.in

छात्रावासों का भी निर्माण कार्य वर्ष 2015–16 में प्रारंभ किया जायेगा। आगामी वर्ष में इसके लिए 48 करोड़ 45 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इन छात्रावासों में भोजन मद में 850 रुपये प्रति माह प्रति बालिका की राशि को बढ़ाकर हमारी सरकार द्वारा जनवरी 2015 से 1 हजार 350 रुपये किया गया था, जिसे अब अप्रैल 2015 से 1 हजार 500 रुपये किया गया है।

101. वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साईकिल वितरण योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना को वर्ष 2015–16 में भी संचालित किये जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस हेतु 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

102. ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से राजकीय विद्यालय में अध्ययन करने वाली कक्षा 9 से 12 की ऐसी बालिकाएं जिन्होंने साईकिल योजना का लाभ नहीं लिया है, को transport voucher की सुविधा दी जा रही है। वर्ष 2015–16 से पंचायत समिति स्तर पर संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में उसी पंचायत समिति की बालिकाओं को भी transport voucher की सुविधा दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

103. प्रदेश के सभी जिलों में राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं प्रभावी monitoring के लिए District School Boards की स्थापना की जायेगी। इन Advisory Boards में अभिभावक, शिक्षक, civil society, जनप्रतिनिधिगण एवं जिला प्रशासन का

http://finance.rajasthan.gov.in

प्रतिनिधित्व होगा। हर वर्ष प्रत्येक जिले के बोर्ड द्वारा जिले में शिक्षा के स्तर एवं शिक्षा में हुए सुधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जायेगी। इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ जिलों में आपसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होगी।

104. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (NTSE) में चयनित राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दिये जाने की घोषणा की थी। अब राज्य के निजी विद्यालयों के छात्रों के NTSE में चयनित होने पर उनको एकमुश्त 10 हजार रुपये पुरस्कार स्वरूप दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

105. District Institute of Education and Training का networking कर इनमें e-training की व्यवस्था प्रारंभ की जायेगी। अध्यापकों को नवीन तकनीक से गुणात्मक प्रशिक्षण दिलाने हेतु इनमें विडियो कांफ्रेंसिंग, डिजिटल पुस्तकालय एवं e-teaching की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। इस हेतु आगामी वर्ष में 10 लाख रुपये प्रति केन्द्र उपलब्ध करवाये जायेंगे।

106. झुंझुनूं जिले में सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन करने का निर्णय ले लिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में स्कूल के भवन निर्माण एवं अन्य संसाधन हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध करवायी जायेगी।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

107. राज्य के सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार कटिबद्ध है। वर्तमान में उच्च शिक्षा

http://finance.rajasthan.gov.in

के क्षेत्र में accessibility की कमी के साथ–साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं gender gap की भी समस्या है। इस क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा State Higher Education Development Plan तैयार कर आगामी 8 वर्षों में चरणबद्ध रूप से विकास किया जायेगा। इस योजना के तहत नये विश्वविद्यालय, नये professional college, मॉडल महाविद्यालय खोलने के साथ विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को infrastructure grants दी जायेगी। उच्च शिक्षा में research, innovation, faculty improvements, curriculum advancement तथा management information system creation पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा। मुझे उम्मीद है कि इस योजना की क्रियान्विति के बाद राज्य में उच्च शिक्षा में अपेक्षाकृत सुधार होगा।

108. राज्य के 32 महाविद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु आगामी वर्ष में 33 करोड़ 93 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

109. राज्य में science and humanities research foundation की स्थापना की जायेगी। यह foundation राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान में मदद करेगा। इसकी योजना पृथक से जारी की जाएगी।

110. वर्तमान में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में तथा देवनारायण योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण योजना लागू है। अब मैं घोषणा करती हूँ कि प्रत्येक जिले में राजकीय विद्यालय से 9वीं से 12वीं तक अध्ययन पूरा कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की 12वीं कक्षा

http://finance.rajasthan.gov.in

की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली प्रथम 50 छात्राओं कुल 1 हजार 650 छात्राओं को भी स्कूटी दी जायेगी।

111. आहोर, जिला जालौर एवं डेगाना, जिला नागौर में नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

112. चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2015–16 में 8 हजार 684 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है जो वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 28 प्रतिशत अधिक है।

113. राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी अस्पताल, CHCs, PHCs आदि खोलने तथा इनकी buildings बनाने पर ही ज्यादा emphasis रहा है। इन चिकित्सालयों में उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इस हेतु वर्ष 2015–16 के लिए मैं निम्न उपायों की घोषणा करती हूँ:–

- राज्य के चिकित्सालयों की वृहद मरम्मत के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- चिकित्सालयों हेतु आधुनिक उपकरणों के लिए 8 करोड़ 75 लाख रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।
- इस वर्ष राज्य के 150 से अधिक शैय्याओं वाले 8 चिकित्सालयों में नये ब्लड बैंक की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 4 करोड़ 12 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

- 9 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से 7 नयी Blood Component Separation Unit खोली जायेंगी।
- इन चिकित्सालयों में 100 नई mortuaries के लिए 22 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।
- CHC आबूरोड़ जिला सिरोही का विस्तार कार्य 3 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।
- बीकानेर के जनाना चिकित्सालय के अधूरे पड़े नंवीन भवन का निर्माण कार्य 10 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किया जायेगा।
- दौसा जिला अस्पताल को 150 शैय्याओं से 250 शैय्याओं में क्रमोन्नत करना।
- जिला अस्पताल बारां का भी सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जायेगा।
- राज्य के स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध उपकरणों की देखरेख के लिए inventory management system 1 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जायेगा।

114. बच्चे हमारे प्रदेश और देश का भविष्य है। राज्य में MMR and IMR में कमी लाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित है। हाल ही में हमारी सरकार ने झालावाड़ एवं सिरोही जिले में मातृ–शिशु स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए टाटा ट्रस्ट तथा अंतरा foundation के साथ MoU किया है। इसके अतिरिक्त निम्न कदम भी उठाये जायेंगेः–

- राज्य में प्रतिवर्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूती नियोजन, मातृत्व, शिशु स्वास्थ्य तथा आशा दिवस मनाये जायेंगे।

- राज्य में 1 हजार 665 प्रसूती केन्द्र स्वीकृत हैं, इनमें से 100 केन्द्रों का चयन कर इन्हें और अधिक सुविधायुक्त बनाया जायेगा। साथ ही 400 अन्य प्रसूती केन्द्र विकसित किये जायेंगे।
- राज्य में हजारों अतिकुपोषित बच्चे कुपोषित उपचार केन्द्रों के दायरे से बाहर हैं। इसके लिए community based management of acute malnutrition कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस कार्यक्रम के तहत phased manner में 13 उच्च प्राथमिकता वाले जिले तथा जनजातीय जिलों के 10 हजार बच्चों को जोड़ा जायेगा, जिस पर 10 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- बारां, डूंगरपुर, धौलपुर, शाहबाद एवं उदयपुर में संचालित कुपोषित उपचार केन्द्रों पर 3 करोड़ रुपये का व्यय कर प्रति केन्द्र शैय्याओं की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 की जायेगी।
- नवजात शिशुओं को दूध के लिए 10 जिला चिकित्सालयों पर mother milk bank की स्थापना की जायेगी, जिस पर 10 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- अवांछित एवं लावारिस बच्चों के लिए जिला, उपजिला, सेटेलाइट चिकित्सालयों में 65 पालनागृहों का निर्माण 65 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।
- प्रत्येक संभाग के एक जिले में प्रायोगिक तौर पर ANM को Tablet PC उपलब्ध कराएं जाएंगे जिससे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की न केवल प्रभावी Monitoring हो सके, बल्कि विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में IEC भी की जा सके।

http://finance.rajasthan.gov.in

115. प्रदेश की जनता को हम उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सकें, इसके लिए हम निजी जन–सहभागिता का भी स्वागत करते हैं। राज्य सरकार इस क्षेत्र में निजी जन–सहभागिता के आधार पर निम्न सुविधायें उपलब्ध करायेगी:–

- देश के चिकित्सा महाविद्यालय, निजी चिकित्सालय, Trusts तथा general practitioners द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में PHCs चलाये जाने के लिए **Run a PHC योजना** लागू की जायेगी। इसके तहत existing PHCs को इन संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जायेगा तथा सरकार द्वारा इन्हें एकमुश्त राशि उपलब्ध करवायी जायेगी।
- गुर्दे के मरीजों को dialysis सुविधा संबंधित जिले में उपलब्ध कराने हेतु राज्य के जिला अस्पतालों में haemodialysis सुविधा संचालित करायी जायेगी। जिला अस्पतालों में आवश्यक dialysis उपकरण के लिए 8 करोड़ 64 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया जा रहा है।
- 21 जिलों पर स्थापित CT Scan मशीन का संचालन तथा शेष जिलों में CT Scan मशीन तथा MRI मशीन का संचालन किया जायेगा।
- राज्य के 17 जिला चिकित्सालयों पर cancer care सुविधा संचालित की जायेगी।
- निःसंतान दंपत्तियों के ईलाज हेतु जिला चिकित्सालयों पर IVF Centre संचालित किये जायेंगे।

http://finance.rajasthan.gov.in

116. फल एवं सब्जियों में heavy metal and pesticide की जांच हेतु मुख्य खाद्य प्रयोगशाला, जयपुर का 7 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

117. ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली Adolescent बालिकाओं की शिक्षा के साथ–साथ, उनके स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी बालिकाओं के health and hygiene के लिए एक विशेष योजना लायी जायेगी।

118. प्रत्येक संभाग के एक जिले में pilot basis पर सभी "आशा" को Tablet PC के माध्यम से data entry करने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रयोग सफल होने पर इसे सभी जिलों में लागू किया जायेगा। इनके लिए पृथक से **प्रोत्साहन योजना** लागू की जाएगी।

119. राजस्थान में **'Dial an ambulance'** सेवा शुरू की जायेगी। इसमें 104, 108 एंबूलेंस सेवा तथा base एंबूलेंस को 104 मेडिकल advisory सेवा के साथ एकीकृत कर उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर बेहतर सेवायें प्रदान की जायेगी।

120. वर्ष 2014–15 में 10 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों का भवन निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में 10 और केन्द्रों हेतु भवन निर्माण करवाये जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के attached आयुर्वेद महाविद्यालय में Bachelor of Ayurved Medicine and Surgery की सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 की जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

121. निःशुल्क दवा से पहले और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है निरोगी काया। Universalization of Health Care की दिशा में नयी सोच के साथ प्रदेश में दिसम्बर से मार्च तक राज्य स्तर पर **"आरोग्य राजस्थान अभियान"** चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पंचायतवार camps लगाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर भामाशाह योजना से जोड़ते हुए health cards बनाए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी Health Information Network भी तैयार किया जा सकेगा। इस Database के आधार पर गम्भीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के ईलाज की व्यवस्था की जाएगी।

चिकित्सा शिक्षा

122. राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों का विस्तार बिना पूर्व planning के adhoc basis पर होता आया है। समय के साथ इन चिकित्सालयों में नये वार्ड एवं नये विभाग भी जुड़ते रहे हैं। अतः इन चिकित्सालयों की future planning के लिए master plan तैयार किये जायेंगे।

123. अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय को छोड़कर राज्य के अन्य सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में multi disciplinary research lab की स्थापना की जायेगी। सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय की लैब को National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories मानकों के अनुरूप क्रमोन्नत किया जायेगा।

124. हाल ही में राज्य में पहला Organ Transplant किया गया है। मैं इस Transplant से जुड़े सभी चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ को

http://finance.rajasthan.gov.in

बधाई देती हूँ और Organ donate करने वालों के अभिभावक व परिजनों के इस त्याग की सराहना करती हूँ। Organ Transplant की सुविधा को अधिक व्यापक बनाने के लिए सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पताल के अंतर्गत Centre of Organ Transplant की स्थापना की मैं घोषणा करती हूँ।

125. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों में वर्तमान में कोटेज वार्डों की कमी के साथ इनमें सुधार की भी आवश्यकता है। अतः उच्च स्तर की गुणवत्तायुक्त सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए इन अस्पतालों में भूमि की उपलब्धता को देखते हुए निजी जनसहभागिता के आधार पर आधुनिक सुविधायुक्त बहुमंजिले कॉटेज वार्ड बनाये जायेंगे।

126. भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उदयपुर की super speciality wing में underground parking की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 9 करोड़ रुपये के प्रावधान की मैं घोषणा करती हूँ।

127. चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों में निजी जन–सहभागिता के आधार पर बायो मेडिकल अकादमी की स्थापना की जायेगी, जहां युवाओं को dialysis technician एवं नर्सेज के skill development कार्यक्रम उपलब्ध करवाये जायेंगे। इसके साथ–साथ रोगियों को affordable price पर dialysis की सेवायें भी उपलब्ध करवायी जायेंगी।

128. विभाग की आवश्यकतानुसार, private partners की preference के आधार पर चयनित जिलों में, निजी जन–सहभागिता के माध्यम से नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

129. वर्ष 2012–13 में अलवर जिले में pilot basis पर गेंहूँ की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना लागू की गई है। इसकी सफलता को देखते हुए वर्ष 2016 में रबी विपणन हेतु जयपुर व भरतपुर संभाग के समस्त जिलों में गेंहूँ की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना लागू करने की मैं घोषणा करती हूँ।

130. खाद्य सुरक्षा के तहत वर्ष 2015–16 में 250 करोड़ 76 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

131. उपभोक्ता जागरुकता के कारण राज्य में उपभोक्ता विवादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अतः राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता मंचों के सुदृढ़ीकरण के कार्य 16 करोड़ 66 लाख रुपये की लागत से किये जाने प्रस्तावित है।

132. उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण एक ही छत के नीचे हो, इस हेतु उपभोक्ता मामले विभाग के भवन का निर्माण करवाया जायेगा।

133. वर्तमान में weights and measures उद्योग विभाग के अधीन है। जबकि ये कार्य उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित है। अतः weights and measures संबंधी कार्यों को उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन स्थानान्तरित किये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।

134. कुपोषण की प्रभावी रोकथाम के लिए micro nutrients यथा Na(Sodium)Fe(Iron)EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetate Trihydrate), Folic Acid व विटामिन बी 12 से fortified आटा, विटामिन

http://finance.rajasthan.gov.in

ए व डी से fortified खाद्य तेल एवं आईरन तथा आयोडिन युक्त double fortified नमक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जायेगा।

कौशल राजस्थान एवं रोजगार

श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार

135. गत् बजट भाषण में मैंने आगामी 5 वर्षों में सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों सहित राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, ITI, RMoL, रोजगार मेले, आर्मी भर्ती के माध्यम से लगभग 15 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाने का उल्लेख किया था।

136. उद्योगों की आवश्यकता को देखते हुए हमनें 33 High Growth आर्थिक क्षेत्रों में sector specific schemes लागू की हैं। Toyota, Samsung, Caterpillar व अन्य उद्योगों के साथ ITIs में उद्योग आधारित कार्यक्रम प्रारंभ किये जा रहे हैं। ITEES सिंगापुर के साथ उदयपुर राजकीय ITI को hospitality क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है।

137. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत देश का पहला केन्द्र उदयपुर में प्रारंभ किया गया है। Bombay Stock Exchange Institute के साथ वित्तीय क्षेत्र में Centre of Excellence स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

138. Employment Linked Skill Training Programme के तहत एक प्रभावी convergence model लागू किया गया है, जिससे हम विभिन्न

http://finance.rajasthan.gov.in

योजनाओं व विभागों के कौशल विकास component को उक्त योजना के माध्यम से क्रियान्वित कर पाये हैं। Apprenticeship Act में किये गये सुधारों से युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सकेंगे। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु श्रम एवं नियोजन विभाग का कुल प्रावधान वर्ष 2015–16 में 802 करोड़ 47 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 22 प्रतिशत अधिक है।

139. राज्य से काफी संख्या में श्रमिक आजीविका के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। देश–विदेश में निवास करने वाले श्रमिकों की समस्या के समाधान हेतु "राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ" का गठन किया जायेगा। यह प्रकोष्ठ IT enabled होगा तथा प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं के लिए देश–विदेश के अन्य स्थानों पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी देगा तथा निजी man power agencies के साथ समन्वय कर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में मदद भी करेगा।

140. देश में केन्द्र सरकार एवं बैकिंग क्षेत्र में हर वर्ष रोजगार के हजारों अवसर उपलब्ध होते हैं। राज्य सरकार चयनित युवाओं को इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए coaching की सुविधा उपलब्ध करवायेगी। इसके लिए राजकीय महाविद्यालय एवं विद्यालयों के उपलब्ध infrastructure का उपयोग कर सायंकालीन प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जायेंगे। इसी तर्ज पर प्रदेश के जो युवक भारतीय सशस्त्र सेवा में अपना भविष्य देखते हैं उनको National Defence Academy, Combined

http://finance.rajasthan.gov.in

Defence Services जैसी परीक्षायें उत्तीर्ण कराने हेतु coaching की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। इस संबंध में राज्य सरकार शीघ्र ही योजना लायेगी।

141. देश में हर साल लगभग 25 लाख passenger vehicles एवं 6 लाख commercial vehicle विक्रय होते हैं। इन वाहनों को चलाने के लिए हर वर्ष हजारों प्रशिक्षित चालकों की आवश्यकता होती है। रोजगार के यह अवसर प्रदेश के युवाओं को मिल सके, इस हेतु RSLDC, परिवहन विभाग एवं automobile companies मिलकर driving training centres चलायंगे। यह प्रशिक्षण महिलाओं के लिए भी चलाया जायेगा।

142. RSLDC के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

143. प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को गति देने व RSLDC, नियोजन विभाग एवं ITIs के बीच बेहतर समन्वय के लिए Department of Skills and Employment का गठन किया जायेगा, जिसके अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण, ITIs एवं नियोजन से जुड़ी सभी गतिविधियां संचालित की जायेंगी।

144. वर्ष 2015–16 में रीको द्वारा Central Glass and Ceramic Research Institute, Khurja के सहयोग से दक्ष कामगारों के लिए skill development कार्यक्रम के तहत उदयपुर, अलवर एवं बीकानेर जिले के 500 कामगारों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

145. पंजीकृत निर्माण श्रमिक परिवार के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही, कार्यस्थल पर ही निर्माण श्रमिकों के कौशल संवर्धन हेतु Recognition of Prior Learning के आधार पर विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

146. स्वरोजगार हेतु आजीविका परियोजना के अंतर्गत माह दिसंबर 2013 से जनवरी 2015 तक 12 हजार 801 स्वयंसहायता समूहों का गठन कर 1 लाख 54 हजार महिलाओं को लाभान्वित किया गया है तथा 2 हजार 819 स्वयंसहायता समूहों को 19 करोड़ 66 लाख रुपये का ऋण दिया गया है। वर्ष 2015–16 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से 15 हजार स्वंयसहायता समूहों का गठन कर लगभग 2 लाख गरीब महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा। परियोजना के अंतर्गत इन समूहों की महिलाओं को आजीविका (livelihood) हेतु 95 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

147. वर्ष 2015–16 में 60 नयी पंचायत समितियों में आजीविका के कार्य का विस्तार किया जायेगा। साथ ही, आजीविका संवर्धन हेतु 4 जिलों में निम्नलिखित परियोजनायें शुरू की जायेंगी, जिससे गरीब ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी:–

- झालावाड़ में 1 हजार 500 परिवारों को कृषि एवं गैर–कृषि आजीविका से जोड़ा जायेगा।
- डूंगरपुर में लिफ्ट सिंचाई द्वारा 700 परिवारों को लाभान्वित करने हेतु परियोजना

http://finance.rajasthan.gov.in

– धौलपुर में डेयरी द्वारा 1 हजार 500 तथा बकरी पालन द्वारा 2 हजार 500 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा तथा
– चूरू में 500 परिवारों को बूंदी–बंधेज का प्रशिक्षण प्रदान कर लाभान्वित किया जायेगा।

148. वर्ष 2014–15 में राज्य के 70 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में pilot basis पर vocational शिक्षा प्रारंभ की गई थी, जिसके आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस सफलता को देखते हुए राज्य के चयनित 200 विद्यालयों में वर्ष 2015–16 में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। वर्ष 2015–16 में इस कार्य हेतु 40 करोड़ 45 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

149. राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्गों पर सरस बूथों की स्थापना की जायेगी। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि इन मार्गों पर चलने वाले यात्रियों को दुग्ध उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। इस हेतु शीघ्र ही एक योजना लाई जायेगी।

150. राजस्थान में ITIs में आधुनिक उपकरणों की कमी है ही, साथ में उद्योगों के साथ इनका linkage भी missing है। इतने बड़े infrastructure का सही ढंग से उपयोग कर, हम हजारों युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं। इस हेतु मैं निम्न उपायों की घोषणा करती हूँ:–
– वर्तमान में राज्य में संचालित 170 राजकीय ITIs को नवीन पाठ्यक्रमानुसार आधुनिक tools and equipments उपलब्ध कराने

http://finance.rajasthan.gov.in

के लिए आगामी वर्ष में 28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

- गत् सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 के बीच 81 नयी ITI खोलने की घोषणा की गयी थी, परंतु इनमें से अधिकांश ITIs को भूमि आवंटन आज तक भी नहीं हुआ है। अतः मैं घोषणा करती हूँ कि ITIs को भूमि आवंटित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा तथा निर्माणाधीन 17 ITIs को पूर्ण करने एवं आवश्यक मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराने हेतु 82 करोड़ 65 लाख रुपये का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में संचालित ITIs को और आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने के लिए हम निजी जनसहभागिता का भी इस क्षेत्र में स्वागत करेंगे।
- राज्य में 59 ITIs में कंप्यूटर लैब की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 7 करोड़ 67 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
- जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर में संचालित production centre को उच्चीकृत कर regular ITI के रूप में विकसित किया जायेगा।
- राज्य में वर्तमान में 76 trades का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आगामी 3 वर्षों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित ITI में आवश्यकतानुसार नये trades खोले जायेंगे।
- राज्य की जिला मुख्यालय पर स्थित 28 ITIs में plumber training हेतु नया trade खोला जाना प्रस्तावित है। इस पर 4 करोड़ 98 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

- विज्ञापनों एवं फिल्मों के लिए Art Work, Graphics, Animation एवं अन्य IT enabled Art Works का प्रशिक्षण देने हेतु राज्य में एक Dedicated ITI की स्थापना की जाएगी।
- राजसमंद एवं किशनगढ़, जिला अजमेर की ITI में stone processing का नया course प्रारंभ किया जायेगा।
- भरतपुर संभाग में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला जायेगा।
- युवाओं को ITI में प्रशिक्षण के लिए आकर्षित करने हेतु प्रत्येक जिले में एक ब्रांड एंबेसेडर का चयन किया जायेगा। यह ब्रांड एंबेसेडर ITI से प्रशिक्षित ऐसा युवा होगा जो सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में कार्यरत हो।

स्थानीय स्व–शासन

शहरी विकास

151. भारत के राष्ट्रपति महोदय ने 9 जून 2014 को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि –

> "we must not tolerate the indignity of homes without toilet and public spaces littered with garbage. For ensuring hygiene, waste management and sanitation across the nation, a 'Swachha Bharat Mission' will be launched. This will be tribute to Mahatma Gandhi on his 150th birth anniversary to be celebrated in the year 2019."

http://finance.rajasthan.gov.in

152. उक्त भावना के अनुरूप राजस्थान के शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए मैं निम्न घोषणायें करती हूँ:–

- शहरी क्षेत्र में वर्ष 2018 तक 7 लाख 70 हजार से अधिक जल प्रवाही शौचालयों का निर्माण कर शहरों को Open Defecation Free बनाये जाने का प्रयास किया जायेगा, जिसका Third Party Audit भी कराया जाएगा। वर्ष 2015–16 में एक कार्ययोजना बनाकर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 300 सामुदायिक शौचालय बनायें जायेंगे। वर्ष 2015–16 में इन कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
- राज्य की कुछ चयनित नगर निकायों में solid waste collection and processing का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इसके लिए viability gap funding के तहत आवश्यक राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

153. अजमेर–पुष्कर में विकास एवं संरक्षण हेतु Heritage City Development and Augmentation Yojana के अंतर्गत 4 वर्षीय योजना तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत heritage walk ways, cycle track, pedestrian pathways विकसित किये जायेंगे साथ ही नवीन signages and underground wiring के कार्य भी हाथ में लिये जायेंगे। इस हेतु वर्ष 2015–16 में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

154. कोटा जिले में कोटा बैराज के समानान्तर एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करवाया जायेगा जिसकी लागत लगभग 85 करोड़ रुपये होगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

155. शहरों में बढ़ती आबादी को आवास उपलब्ध करवाना एक ज्वलंत समस्या है। अनुमान के अनुसार वर्ष 2022 तक प्रदेश में 17 लाख आवासों की आवश्यकता होगी, जिनमें से अधिकांश आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग श्रेणी के होंगे। इन परिवारों को नगरीय क्षेत्र में राजकीय संस्थानों के साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी से सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए **"मुख्यमंत्री जनआवास योजना"** लायी जायेगी।

156. शहरी क्षेत्रों में निर्माणाधीन RoBs के कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए वर्ष 2015–16 में 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में बीकानेर (एलसी 4), हिण्डौन (एलसी 201) जिला करौली, रींगस (एलसी 108) जिला सीकर, मकराना (एलसी 34ई/2) जिला नागौर एवं सूरतगढ़ (एलसी 95) जिला श्रीगंगानगर के निर्माणाधीन RoBs के कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।

157. पूर्ववर्ती सरकार पृथ्वीराज नगर योजना, जयपुर की समस्याओं का समाधान करने में असफल रही। परंतु हमारी सरकार ने वर्षों से लंबित पृथ्वीराज नगर योजना में आवश्यक नीतिगत निर्णय लेते हुए शिविरों का आयोजन कर अब तक 4 हजार से अधिक पट्टे जारी किये हैं। वर्ष 2015–16 के अंत तक लगभग 10 हजार पट्टों का वितरण किया जायेगा।

158. इसी प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार की शिथिलता के कारण जयपुर के दक्षिण भाग में 47 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण कार्य वर्षों से रुका हुआ था। हमारी सरकार ने विशेष अभियान चलाकर

http://finance.rajasthan.gov.in

और सभी समबन्धित पक्षकारो को विश्वास में लेते हुए रिंग रोड के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का न केवल कब्जा प्राप्त किया बल्कि प्रभावित काश्तकारों को उचित मुआवजा पैकेज भी दिया है। इस परियोजना हेतु पर्यावरण clearance जनवरी 2015 में प्राप्त कर ली गई है। आगामी लगभग 20 माह की अवधि में इस परियोजना को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस रिंग रोड के निर्माण से जयपुर के निवासियों को सुगम यातायात की सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही शहर के विकास में भी तेजी आयेगी।

159. रेलवे लाईन, भारी यातायात दवाब वाले traffic crossings पर वाहनों को अनावश्यक ना रूकना पड़े इस हेतु जयपुर में निम्न flyovers, RoBs एवं RuBs बनाये जायेंगे:–

- सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के पास जयपुर सवाईमाधोपुर लाईन पर
- गोनेर रोड पर दांतली के पास जयपुर दिल्ली रेलवे लाईन पर
- जाहोता में जयपुर सीकर रेलवे लाईन पर
- जोन सी बाईपास की सर्विस रोड पर
- जयपुर अजमेर एवं जयपुर सीकर लाईन पर
- आनंद लोक योजना प्रथम एवं द्वितीय को आपस में जोड़ने के लिए जयपुर सीकर रेलवे लाईन के नीचे under pass
- गोपालपुरा बाईपास पर रिद्धी सिद्धी चौराहे पर

160. हमारे पिछले कार्यकाल में खोले के हनुमान जी मंदिर प्रांगण में 17 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाये गये थे। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए यहां पर 10 करोड़ रुपये की लागत से नयी रसोई, पार्किंग इत्यादि के विकास कार्य योजनाबद्ध रूप से करवाये जायेंगे।

http://finance.rajasthan.gov.in

161. जयपुर में खुले green space की काफी कमी है। इसी क्रम में सिंगापुर के विशेषज्ञों की मदद से किशनबाग में एक botanical park का विकास किया जायेगा। इसके साथ ही Central Park का विकास कार्य भी करवाया जायेगा। आगरा रोड स्थित सिल्वन पार्क का विकास कार्य भी हाथ में लिया जायेगा।

162. अमानीशाह नाले में गिरने वाले दूषित पानी के purification एवं नाले के आसपास के क्षेत्र के एकीकृत विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर, आगामी वर्ष में कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

163. जयपुर शहर में बिजली के तारों को भूमिगत किये जाने का कार्य करवाये जाने हेतु वर्ष 2015–16 में 80 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

164. प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में ऊर्जा की बचत हेतु, आगामी 3 वर्षों में सार्वजनिक प्रकाश के लिए LED lights लगायी जायेंगी। वर्ष 2015–16 में जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली, अलवर, भिवाड़ी, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, चित्तोड़गढ़, पुष्कर तथा माउंटआबू में LED lights लगायी जायेंगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

165. मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष है कि जनता की मांग एवं सुविधा को देखते हुए राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं का 20 वर्ष बाद पुनर्गठन कर 47 नयी पंचायत समितियों एवं 723 नयी ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। इन नवगठित पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों

http://finance.rajasthan.gov.in

हेतु भवन की आवश्यकता को देखते हुए मैं घोषणा करती हूँ कि, जिन ग्राम पंचायतों में कोई उपयुक्त खाली सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है, उनमें नवीन ग्राम पंचायत भवन बनाये जायेंगे। साथ ही पंचायत समितियों के नवीन भवनों का निर्माण 94 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है।

166. राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शिक्षा संबंधी योग्यता निर्धारित की गई है। इन नवीन प्रावधानों का सकारात्मक परिणाम आप सभी के सामने है। जहां वर्ष 2010 में 10वीं पास से अधिक योग्यता वाले जिला परिषद सदस्यों की संख्या 33 प्रतिशत, पंचायत समिति सदस्यों की संख्या 18 प्रतिशत तथा 8वीं पास सरपंचो की संख्या 22 प्रतिशत थी, वहीं वर्ष 2015 में इसकी संख्या क्रमशः 70 प्रतिशत, 54 प्रतिशत व 48 प्रतिशत हो गई है। अर्थात् शिक्षित सदस्यों की संख्या में दुगुनी से तीगुनी वृद्धि हुई है। आशा है कि नव–निर्वाचित जनप्रतिनिधि गण अपने कौशल, ज्ञान तथा ऊर्जा से पंचायतराज संस्थाओं को और सशक्त करने में सफल होंगे। नये चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पंचायतराज संबंधी नियमों एवं कार्यों की जानकारी देने के लिए आगामी वर्ष से व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

167. राज्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली पंचायतीराज संस्थानों को राज्यस्तरीय अवार्ड दिये जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन संस्थानों का चयन, स्वयं के संसाधनों में वृद्धि, स्वच्छ भारत अभियान में उल्लेखनीय कार्य तथा बाल विवाह की रोकथाम हेतु उठाये कदमों पर

http://finance.rajasthan.gov.in

आधारित होगा। इस संबंध में जारी की जाने वाली योजना के अंतर्गत यह पुरस्कार प्रदेश की प्रथम तीन जिला परिषदों को एवं प्रत्येक संभाग में प्रथम तीन पंचायत समितियों तथा हर जिले में प्रथम तीन ग्राम पंचायतों को दिया जायेगा। प्रथम तीन जिला परिषदों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि क्रमशः 25 लाख रुपये, 15 लाख रुपये एवं 10 लाख रुपये होगी। इसी प्रकार प्रत्येक संभाग में प्रथम तीन पंचायत समितियों को देय राशि क्रमशः 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये एवं 3 लाख रुपये होगी। हर जिले में प्रथम ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपये, द्वितीय को 2 लाख रुपये तथा तृतीय को 1 लाख रुपये की राशि देय होगी।

168. आगामी वर्ष पंचायतीराज संस्थानों को 2 हजार 73 करोड़ 75 लाख रुपये के अनुदान का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों को 1 हजार 471 करोड़ रुपये का अनुदान भी उपलब्ध करवाया जायेगा।

169. गुरू गोलवलकर जन–भागीदारी विकास योजना के लिए वर्ष 2014–15 में 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। वर्ष 2014–15 में इस योजना में 48 करोड़ रुपये के 751 कार्य स्वीकृत किये गये। योजना में आमजन द्वारा दिये जा रहे सहयोग को देखते हुए सरकार ने भी अपनी भागीदारी को बढ़ाकर, योजना के अंतर्गत देय राशि को दुगुनी करने का निर्णय लिया है। अतः वर्ष 2015–16 में इस हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की मैं घोषणा करती हूँ।

170. सुराज संकल्प के तहत हमनें बीपीएल परिवारों के साथ–साथ अन्य चिन्हित वर्गों को भी आवासीय सुविधायें योजनाबद्ध

http://finance.rajasthan.gov.in

रूप से प्रदान करने का वायदा किया था। राज्य में ऐसे वंचित वर्गों का चिन्हीकरण कर आगामी वर्ष एक योजना लायी जायेगी। इस योजना के तहत पक्के मकान हेतु 70 हजार रुपये प्रति आवास की दर से अनुदान दिया जायेगा। वर्ष 2015–16 में ऐसे 3 हजार परिवारों के लिए 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

171. वन क्षेत्र में रह रहे परिवार व विशेष वंचित जनजाति समूहों के 20 हजार 760 परिवारों हेतु मार्च 2013 में पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत 45 हजार रुपये की लागत से पक्के मकान बनाने के लिए स्वीकृति दी गई थी। अप्रेल, 2013 से इंदिरा आवास योजना की सहायता को बढ़ाकर 70 हजार रुपये कर दिया गया, परंतु पिछली सरकार द्वारा इन परिवारों के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण इनके मकान अधूरे पड़े हैं। इन आवासों को पूर्ण करने हेतु 25 हजार रुपये प्रति आवास की दर से वर्ष 2014–15 में 15 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2015–16 में 36 करोड़ 90 लाख रुपये कुल 51 करोड़ 90 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

172. सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर राज्य में **"मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना"** लागू की गई है। इस योजना के तहत माननीय विधायक के नेतृत्व में ग्राम समुदाय की सक्रिय भागीदारी से साझा विकास योजना तैयार की जायेगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष एक आदर्श ग्राम पंचायत का चयन किया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

173. श्रम सामग्री के अनुपात की गणना पंचायत स्तर पर किए जाने से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जन उपयोगी पक्के कार्य कराने में अत्यधिक कठिनाई होती है। इस समस्या के समाधान के लिए तथा अधिक से अधिक संख्या में पक्के और स्थाई कार्य कराने के उद्देश्य से मैं additional material component के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि का एक कोष बनाने की घोषणा करती हूँ।

डिजिटल राजस्थान एवं सुशासन

सूचना प्रौद्योगिकी

174. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के लिए वर्ष 2015–16 में 626 करोड़ 23 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है, जो वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमान से 72 प्रतिशत अधिक है।

175. भामाशाह कार्ड को आधार, जनधन व मोबाईल नम्बर सेवा से जोड़ दिया गया है। इसमें व्यक्ति के साथ–साथ परिवार का भी पृथक पहचान नम्बर दिया गया है। प्रदेश में भामाशाह योजना के तहत अब तक 61 लाख परिवारों तथा 1 करोड़ 92 लाख निवासियों का नामांकन किया जा चुका है। विभिन्न बैंकों के Rupay Card को भामाशाह योजना से cobrand किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में सहकारी बैंकों को "कोर बैंकिंग" प्रणाली के साथ भामाशाह योजना से जोड़ते हुए इनके माध्यम से भी सेवा दूर–दराज के क्षेत्रों में पहुंचाई जायेगी। इसके लिए primary agriculture credit society (PACS), large agriculture multipurpose society (LAMPS) तथा ई–मित्र केन्द्रों को business correspondent बनाने का निर्णय लिया गया है।

http://finance.rajasthan.gov.in

176. मैं यह घोषणा भी करती हूँ कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भामाशाह योजना के तहत बैंकिंग सुविधा वर्ष के 365 दिन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की सभी 9 हजार 900 पंचायतों में अटल सेवा केन्द्रो पर Micro ATM स्थापित किए जायेंगे। भामाशाह योजना के माध्यम से राशनकार्ड, पेंशन, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, एवं नरेगा भुगतान के लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया है। आगामी वर्ष में अन्य योजनाओं यथा छात्र स्कूटी वितरण, इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री बीपीएल आवास, जननी सुरक्षा योजना, बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण सेवायें तथा अन्य व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का लाभ भामाशाह योजना के माध्यम से दिया जाएगा। भामाशाह योजना को प्रधानमंत्री जन–धन योजना के साथ एकीकृत कर दिया गया है, जिससे संपूर्ण एवं समग्र वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंको ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि आगामी वर्ष में 500 नवीन brick and motor branches खोली जायेंगी।

177. ई–मित्र केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की संख्या 40 से बढ़ाकर 107 एवं केन्द्रों की संख्या 5 हजार से बढ़ाकर 11 हजार कर दी गई है। पूर्व में ई–मित्र कियोस्कधारियों को अनुदान दिया जाता था, परंतु मुझे यह बताते हुए खुशी है कि अनेक सरकारी योजनाओं को जोड़ने से ये केन्द्र स्वयं सक्षम हो गये हैं। इनकी सफलता को देखते हुए वर्ष 2015–16 में सरकारी विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ऐसी समस्त सेवायें जो ई–मित्र केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा सकती हैं को, इन केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध

http://finance.rajasthan.gov.in

करवाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही प्रत्येक पंचायत पर एक ई–मित्र केन्द्र सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में केन्द्रों की संख्या 15 हजार की जायेगी।

178. राज्य में मोबाईल की connectivity को बेहतर करने के लिए 4G की सेवाओं का विस्तार करने के लिए आवश्यक सहयोग दिया जायेगा।

179. आगामी वर्ष से, जन–समस्याओं की सुनवाई हेतु पंचायत स्तर तक सभी अटल सेवा केन्द्रों पर विडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा phased manner में उपलब्ध करवाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही, सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक Big Data तकनीक से लैस analytic system का विकास किया जायेगा। इससे कर एवं गैर–कर राजस्व संग्रहण में भी वृद्धि हो सकेगी।

180. वर्ष 2015–16 में नागरिकों, उद्योग एवं सरकारी विभागों के विस्तृत विकास एवं उन्नति पर आधारित नयी IT एवं e-governance policy जारी की जायेगी।

181. राज्य मुख्यालय के अलावा जिलों में तथा उससे नीचे के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक के सुलभ, सतत् एवं सक्षम सहयोग के लिए सभी जिला स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी कार्यालय स्थापित किये जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन कार्यालयों की स्थापना से जिलों में चलायी जा रही e-mitra, भामाशाह जैसी योजनाओं की effective मोनेटरिंग होगी तथा इन्हें गति मिलेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

182. मैंने अपने पूर्व कार्यकाल में जयपुर को चरणबद्ध तरीके से wi-fi city बनाने की घोषणा की थी, किंतु उसके पश्चात् इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः मैं घोषणा करती हूँ कि प्रथम चरण में जयपुर शहर में मुख्य रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप बस स्टैंड, जंतर–मंतर क्षेत्र, आमेर fort, सेंट्रल पार्क, जवाहर सर्किल, सवाईमानसिंह अस्पताल, मेट्रो के चयनित स्टेशनों एवं अन्य ऐसे स्थानों पर wi-fi की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

183. अन्य देशों की तरह पर्यटकों को पर्यटन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए Rajasthan State Tourism Portal बनाया जायेगा। यह एक one stop पोर्टल होगा, जहां पर्यटक स्थलों, Hotels, Routes, Guides, Taxies आदि की समस्त जानकारी उपलब्ध होगी।

184. वर्ष 2014–15 में मेरे द्वारा राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए Rajasthan School Education Portal की स्थापना की घोषणा के क्रम में Open Source Technology आधारित शिक्षा पोर्टल का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। आगामी वर्ष में राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों तथा राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के प्रवेश से degree प्राप्त होने तक की समस्त प्रक्रिया हेतु एकीकृत online software विकसित करने तथा e-learning को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षण सामग्री digital रूप में उपलब्ध करवाने के लिए Rajasthan Higher Education Portal की स्थापना की जायेगी।

185. राज्य में 6 हजार 500 विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब स्थापित किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष में 50 करोड़ रुपये की लागत से

http://finance.rajasthan.gov.in

2 हजार अन्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना कर छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करवाया जायेगा।

186. राज्य में 233 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में Receive only Terminal स्थापित कर SATCOM के माध्यम से विज्ञान विषय में कोचिंग कक्षायें आयोजित की जा रही हैं। विज्ञान संकाय वाले अन्य सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं 66 मॉडल स्कूलों में भी Receive only Terminal स्थापित करने की मैं घोषणा करती हूँ।

187. राज्य में संचालित ICT enabled विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता एवं विद्यालय प्रशासन में सुधार हेतु शाला दर्पण कार्यक्रम pilot basis पर प्रारंभ किया जायेगा।

188. राजकीय विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के विद्यमान आधारभूत ढांचे का प्रयोग करते हुए राज्य में **Digital Literacy योजना** लागू की जायेगी। इस योजना के तहत प्रदेश के वे नागरिक जो IT के क्षेत्र में illiterate हैं, उन्हें IT की जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी।

189. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का end to end computerisation करवाया जायेगा। इस व्यवस्था के तहत PDS Shops पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी को उसके entitlement के अनुसार देय सामग्री का वितरण PoS (point of sales) machine के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु आगामी वर्ष में 88 करोड़ 54 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

190. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु e-tuition का प्रावधान किया जायेगा।

191. आमजन की सुविधा के लिए राजस्थान के सभी राजस्व न्यायालयों को online एकीकृत प्रणाली से जोड़ने की, मैं घोषणा करती हूँ। **'ई–धरती'** कार्यक्रम को शीध्र क्रियान्वित किया जाएगा।

192. Integrated Financial Management System (IFMS) को और अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2015–16 में निम्न गतिविधियों के लिए प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है:–

- लोक निर्माण विभागों के सभी भुगतान कोषालय के माध्यम से electronic payment द्वारा किये जायेंगे। यह व्यवस्था भुगतान होने वाले कार्यों के GPS एवं Different Stages के Photographs से भी Linked होगी।
- राजकीय भुगतानों की जानकारी Mobile App, SMS एवं e-Sanchar के माध्यम से संबद्ध कर्मचारियों, पेंशनर्स, सेवा प्रदाताओं तथा ठेकेदारों आदि को दी जायेगी।
- राज्य के राजस्व को debit card एवं credit card से जमा करवाने की सुविधा e-grass पर उपलब्ध करवायी जायेगी। e-grass पर e-payments को मोबाईल एप से भी संबद्ध किया जायेगा।
- Online कोष प्रणाली को भामाशाह योजना के अंतर्गत राशि के direct हस्तांतरण हेतु संबद्ध किया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

– PD खातों के भुगतान हेतु electronic payment system का उपयोग चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किया जायेगा।

193. सूचना और जन संपर्क विभाग के पास वर्ष 1952 से आज तक के संकलित historical records, documents एवं photographs का Digitization कराया जाएगा। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी किये जाने वाले प्रकाशनों को ई–बुक के प्रारूप में भी विकसित किया जायेगा। साथ ही, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, गतिविधियों एवं उपलब्धियों के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं आमजन को वास्तविक समय पर जानकारी तुरंत सुलभ कराने हेतु mobile application तैयार करायी जायेगी और विभाग में Social Media Cell विकसित किया जाएगा।

राजस्व

194. राजस्व विभाग के कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण की महती आवश्यकता को देखते हुए मैं निम्न उपायों की घोषणा करती हूँ:–

– 97 करोड़ रुपये की लागत से SDO, तहसील एवं उप–तहसील कार्यालय भवनों का निर्माण।
– 10 करोड़ रुपये की लागत से SDO, तहसील कार्यालय एवं आवासों का रख–रखाव।
– 3 करोड़ रुपये की लागत से SDO एवं तहसीलदार के लिए नये आवासों का निर्माण।

195. वर्तमान में SDO, ACEM एवं तहसीलदार के राजस्व न्यायालयों में 2 लाख 90 हजार से भी अधिक मुकदमें लंबित हैं तथा हर वर्ष इनमें लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है। इन अधिकारियों के

http://finance.rajasthan.gov.in

अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण मुकदमों के निस्तारण के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाते। अतः सरकार ने इन राजस्व प्रकरणों का त्वरित निस्तारण कर Pendency को कम करने का फैसला लिया है। इस हेतु प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में राजस्व लोक अदालत अभियान चलाये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।

पंजीयन एवं मुद्रांक

196. उप–पंजीयक कार्यालय नोखा जिला बीकानेर एवं मावली जिला उदयपुर में नवीन भवन निर्माण 60 लाख रुपये की लागत से कराया जायेगा।

गृह

197. अधिकांश जिला पुलिस, सशस्त्र बटालियन तथा प्रशिक्षण संस्थानों की लाईन्स पुरानी होने के कारण इनकी मरम्मत एवं रख–रखाव की आवश्यकता है। इस हेतु आगामी वर्ष 48 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

198. राज्य में ऐसी पुलिस लाईन्स जहां पर्याप्त आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हैं, उनको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जायेगा। इससे विद्यमान आधारभूत ढांचे का पूर्ण सदुपयोग हो सकेगा। इस हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाये जायेंगे।

199. पुलिस थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु वर्ष 2015–16 में सभी जिला मुख्यालयों एवं पर्यटन स्थल जैसे पुष्कर एवं माउंटआबू के 234 थानों में CCTV cameras स्थापित कर एक आधुनिक Control Room विकसित किया जाएगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

इन कैमरों से live beaming की सुविधा जिला मजिस्ट्रेट के साथ साथ centralised control room में भी उपलब्ध करवाई जायेगी। इस हेतु 3 करोड़ 55 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

200. हाईवे पेट्रोलिंग के लिए उपयोग में लिये जाने वाले सभी वाहनों पर GPS लगाये जायेंगे, जिससे बेहतर पर्यवेक्षण हो सकेगा।

201. वर्ष 2014–15 में सभी केन्द्रीय कारागारों एवं जिला कारागार 'ए' श्रेणी में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष में 'बी' श्रेणी के सभी 22 जिला कारागृह, महिला बंदी गृह जोधपुर एवं जयपुर तथा बालबंदी गृह, जैतारण, जिला पाली में सुरक्षा की दृष्टि से 3 करोड़ 87 लाख रुपये की लागत से सीसीटीवी प्रणाली स्थापित की जायेगी।

202. जिला कारागार 'अ' श्रेणी अलवर को केन्द्रीय कारागार के रूप में क्रमोन्नत किया जायेगा। कारागार भवन की मरम्मत एवं संवर्धन पर 5 करोड़ 26 लाख रुपये का व्यय होगा।

203. कारागारों में 12 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से 36 नयी बंदी बैरकों का निर्माण करवाया जायेगा।

204. बंदियों से मुलाकात की व्यवस्था को सुविधाजनक करने हेतु जयपुर को छोड़कर सभी केन्द्रीय कारागृहों तथा उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर में आधुनिक बंदी मुलाकात कक्ष का निर्माण 2 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा। इन सभी मुलाकात कक्षों में सीसी टीवी लगाए जाएंगे।

http://finance.rajasthan.gov.in

205. उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर तथा जिला जेल अलवर, झालावाड़, धौलपुर तथा टोंक को संबंधित न्यायालयों से विडियो कांफ्रेंसिंग से जोड़ा जायेगा।

206. नागरिक सुरक्षा विभाग का विलय राज्य स्तर पर आपदा प्रबंध एवं सहायता विभाग में किया जायेगा।

207. जिला मुख्यालयों पर 35 सहायक निदेशक अभियोजन के कार्यालय संचालित हैं। अगले 3 वर्षों में phased manner में सभी सहायक निदेशक अभियोजन के कार्यालयों में library और e-library के लिए संसाधन उपलब्ध करवाये जायेंगे।

208. अभियोजन विभाग में सहायक लोक अभियोजक कार्यालय सुजानगढ–जिला चूरू, नोखा–जिला बीकानेर तथा सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय राजसमंद के भवनों का निर्माण 1 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

209. वर्तमान में अभियोजन अधिकारियों का वर्दी भत्ता प्रत्येक तीन वर्ष में 2 हजार 250 रुपये देय है। इसे बढ़ाकर 3 हजार 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

न्याय प्रशासन

210. चैक अनादरण मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु वर्ष 2015–16 में जयपुर में 6, जोधपुर में 5, उदयपुर एवं कोटा 3–3, अजमेर एवं अलवर में 2–2, बीकानेर, पाली, चित्तौड़गढ़ तथा ब्यावर में एक–एक विशिष्ठ न्यायालय (Negotiable Instruments Act प्रकरण) की स्थापना करने की मैं घोषणा करती हूँ।

211. पचपदरा जिला बाड़मेर, दूनी जिला टोंक, आमेर जिला जयपुर एवं कोटकासिम जिला अलवर में एक–एक नवीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय खोले जायेंगे।

212. महिला उत्पीड़न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु जयपुर एवं कोटा में एक–एक नवीन विशेष न्यायालय (महिला उत्पीड़न प्रकरण) की स्थापना की जायेगी।

गोपालन

213. गो–तस्करी से बचाए गये गौवंश को पंजीकृत गौशाला तथा नगरीय निकायों द्वारा संचालित पुनर्वास केन्द्र के सुपुर्द कर भरण–पोषण हेतु चारा, पशु आहार एवं आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहायता योजना लागू की जायेगी, जिसके तहत सहायता राशि न्यायिक अभिरक्षा की अवधि अथवा अधिकतम 1 वर्ष जो भी कम हो, तक देय होगी। वर्ष 2015–16 में इस हेतु 5 करोड़ 88 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

214. वर्तमान में जयपुर में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र तथा जोधपुर में उप–क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र स्थापित हैं। विज्ञान को मनोरंजन के माध्यम से सीखने में इन केन्द्रों का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः मैं 5 करोड़ रुपये की लागत से उदयपुर में उप–क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना की घोषणा करती हूँ।

215. विद्यार्थियों के साथ–साथ आमजन का रूझान भी विज्ञान की ओर आकर्षित करने के लिए जयपुर में Regional Science Centre

http://finance.rajasthan.gov.in

को upgrade करने के लिए वर्ष 2015–16 में 2 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

सूचना एवं जनसंपर्क

216. सभी जिला सूचना केन्द्रों में 1 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही विभाग के प्रेस–कक्ष का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण 1 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

217. राजस्थान पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से दी जाने वाली एकमुश्त वित्तीय सहायता राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तथा विशेष मामलों में इसकी सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की, मैं घोषणा करती हूँ।

218. अधिस्वीकृत पत्रकारों को राज्य में संचालित एवं दिल्ली यात्रा की राजस्थान रोडवेज की सभी वातानुकूलित एवं वोल्वो बसों में किराये में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा करती हूँ। इस रियायती राशि का पुनर्भरण पत्रकारों एवं साहित्यकार कल्याण कोष से किया जायेगा।

सैनिक कल्याण:

219. वर्तमान में 28 जगहों पर सैनिक विश्राम गृह कार्यरत हैं एवं बहरोड़ तथा भीलवाड़ा में सैनिक विश्राम गृह निर्माणाधीन हैं। इन दोनों विश्राम गृहों का निर्माण कार्य आगामी वर्ष में पूर्ण करवा इन्हें सैनिकों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। वर्ष 2015–16 में टोंक में नवीन सैनिक विश्राम गृह का निर्माण 60 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

220. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक तथा उनकी विधवाओं को, जिन्हें किसी भी अन्य स्रोत से पेंशन अथवा सहायता नहीं मिल रही है, को वर्तमान में 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। इसे बढ़ाकर 4 हजार रुपये करने की मैं घोषणा करती हूँ, जिस पर लगभग प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय होगा।

221. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.04.1999 के पश्चात् ऑपरेशन विजय तथा अन्य ऑपरेशनों में शहीद सैनिकों के माता–पिता के नाम से पोस्ट आफिस में 1 लाख 50 हजार रुपये का स्थायी जमा खाता खोला जाता है। ऐसे शहीद के माता–पिता को देय राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये किये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।

222. राज्य में राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम 1966 के तहत President Police Medal for Gallantry एवं Police Medal for Gallantry को दिये जा रहे बढ़ी हुई राशि के नकद पुरस्कार के कारण उत्पन्न हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए शौर्य चक्र धारकों को देय नकद पुरस्कार की राशि 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख 50 हजार रुपये तथा सेना, वायु एवं नौसेना मेडलधारकों को देय राशि 2 लाख रुपये को बढ़ाकर 6 लाख 25 हजार किये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।

223. प्रदेश के हजारों सैनिक duty के दौरान लंबी अवधि तक बाहर रहते हैं। इस दौरान उनके परिवारों को आ रही समस्याओं को दर्ज कर एवं उनका निराकरण call centre के माध्यम से करने की व्यवस्था की जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

प्रशासनिक सुधार

224. वर्तमान में कई अधिनियम, नियम एवं विनियम विद्यमान हैं जो आज के समय में irrelevant हो गये हैं। हमारी सरकार इनका परीक्षण कर समाप्त करने की कार्यवाही कर रही है। सुशासन की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा।

कर्मचारी कल्याणः

225. गत् बजट पर विधानसभा में चर्चा के दौरान परीविक्षा पर नियुक्त कर्मचारियों के consolidated वेतन में 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की थी, जिसे सितंबर 2014 से लागू कर दिया गया है। अब मैं इन कर्मचारियों के consolidated वेतन में जुलाई 2015 से अतिरिक्त 10 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा करती हूँ।

226. गत् सरकार द्वारा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य के अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु बड़े–बड़े वायदे तो किए गए थे, परंतु इनकी क्रियान्विति नहीं की गई। हमारी सरकार ने कर्मचारी वर्ग के प्रतिनिधियों से वार्ता कर इनकी पदोन्नति हेतु सेवा नियमों में one time relaxation देने हेतु सहमति दी है। पदोन्नति हेतु एक अभियान चलाकर आगामी वर्ष में इन कर्मचारियों को पदोन्नत किया जायेगा।

227. कर्मचारियों की लंबे समय से मांग रही है कि वर्दी के स्थान पर उन्हें वर्दी भत्ता दिया जाये जिससे system की खामियों के कारण आ रही कठिनाइयों को भी दूर किया जा सके। अतः मैं घोषणा करती हूँ कि

http://finance.rajasthan.gov.in

राज्य के समस्त कर्मचारी जिन्हें वर्दी उपलब्ध करवाई जाती है को, वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता दिया जायेगा।

228. वर्तमान में पुलिस, आर.ए.सी. एवं आबकारी की निवारक शाखा के कर्मचारी विशेष पेंशनरी अवार्ड के दायरे में हैं। Law and Order बनाये रखने हेतु नियुक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट, खान, परिवहन एवं वन विभाग की prevention and enforcement branches के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी इस विशेष पेंशनरी अवार्ड के दायरे में लाने की घोषणा करती हूँ।

229. वर्ष 2015–16 से राज्य के पेंशनर्स के लिए digital life certificate की सुविधा लागू की जायेगी। इस सुविधा से बिना स्वयं बैंक जाये आधार based बॉयोमेट्रिक पहचान के द्वारा पेंशनर्स अपने निवास, कॉमन सर्विस सेंटर अथवा मोबाईल से बैंक को digital life certificate प्रस्तुत कर सकेंगे।

230. पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से इन सभी कर्मचारियों का वेतन treasury के माध्यम से draw किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

231. मैं यहां विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि नवीन निर्माण के साथ–साथ पुराने निर्माण के रख–रखाव व विभिन्न सेवाओं का सरलीकरण एवं computerisation भी अत्यंत आवश्यक है। पिछले कई सालों से अपेक्षित आधारभूत सरंचनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए तथा

http://finance.rajasthan.gov.in

public service delivery mechanism को कारगर बनाने के लिए इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। हमारा यह पूरा प्रयास होगा कि इन सभी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो, जिससे कि इनका वास्तविक लाभ प्रदेश के नागरिकों को मिल सके।

232. जन–आधारित इस बजट में जहाँ रोजगार एवं निवेश को बढ़ावा देते हुए आर्थिक व सामाजिक आधारभूत सरंचना के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया है, वहीं स्थानीय स्व–शासन को सशक्त करते हुए digital राजस्थान के माध्यम से सामान्य जन तक विभिन्न सेवाओं की पहुंच को बढ़ाते हुए सुशासन की अवधारणा को भी मजबूती प्रदान की गयी है।

233. इस कठिन राह को तय करने में अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम राजस्थान के नवनिर्माण का सफर पूरा कर सकेंगे और सशक्त राजस्थानी के साथ–साथ सशक्त और resurgent राजस्थान का निर्माण करने में सफल हो पायेंगे।

http://finance.rajasthan.gov.in

कर प्रस्ताव

234. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अब कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ।

235. गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पूर्व मैंने सभी वर्गों के सुझाव प्राप्त करने का प्रयास किया है। इस हेतु व्यापारिक संगठनों, कर विशेषज्ञों, किसान सगठनों, पशुपालकों, महिलाओं, युवाओं एवं प्रोफेशनल्स आदि के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गई तथा आमजन से online सुझाव भी आमंत्रित किये गये। इन सुझावों को मैंने यथा सम्भव कर प्रस्तावों में शामिल करने का प्रयास किया है।

236. हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान एक औद्योगिक राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाये और राज्य में व्यापार करना सुविधाजनक हो। इस हेतु राज्य में उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए **Ease of Doing Business** के तहत प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना हमारी प्राथमिकता है। इस दिशा में dealer की सुविधा हेतु dealer friendly IT system होने के साथ–साथ tax collection की प्रक्रिया का सरल होना भी आवश्यक है।

237. उद्योग एवं व्यापार जगत की इन आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप वाणिज्यिक कर विभाग में tax collection प्रक्रिया का निरन्तर सरलीकरण किये जाने के साथ–साथ dealers के लिये सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। IT system को मजबूत

http://finance.rajasthan.gov.in

बनाने के उद्देश्य से गत वर्ष मैंने यह लक्ष्य तय किया था कि VAT संबंधी समस्त कार्य 31 मार्च, 2016 तक इलेक्ट्रोनिक माध्यम से होने प्रारम्भ हो जायें।

238. मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि वर्ष 2014–15 में अब तक dealers को उनके द्वारा प्रस्तुत returns, जारी घोषणा पत्रों व अन्य प्रार्थना पत्रों आदि की सूचना के लिये 10 लाख से अधिक SMS किए गये। इस वित्तीय वर्ष में अब तक वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाईट को लगभग 3.50 करोड़ hits मिल चुके है। इस दौरान वेबसाईट से लगभग 22 लाख online घोषणा पत्र जैसे VAT-15, 47A, 49A, C-form, F-form आदि जारी किये गये और 89 हजार से अधिक dealers का online registration भी किया गया।

239. समस्त कार्यों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से करने के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वाणिज्यिक कर विभाग लगातार प्रयासरत है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मैं कर प्रस्तावों को प्रस्तुत कर रही हूँ।

माल एवं सेवा कर (GST):

240. देश में अप्रेल, 2016 से Goods and Service Tax (GST) लागू किया जाना सम्भावित है। GST को लागू करने की तैयारियों के संबंध में नगरीय विकास आवासन एवं स्थानीय निकाय मंत्री की अध्यक्षता में GST Consultation Committee का गठन किया जा चुका है। इसकी प्रथम बैठक में stakeholders से किया गया विचार–विमर्श सकारात्मक रहा है। Committee के सदस्यों द्वारा इस बैठक में GST लागू करने के लिये IT infrastructure को upgrade करने पर जोर दिया

http://finance.rajasthan.gov.in

है। GST लागू करने के लिये आगामी समय में जिला एवं सम्भाग स्तर पर भी dealers तथा tax experts के साथ विचार–विमर्श किया जायेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रत्येक स्तर पर किया गया Consultation राज्य में सफलतापूर्वक GST लागू करने में सहायक होगा।

241. इसी क्रम में, GST लागू करने और VAT regime के अन्तर्गत वर्तमान IT infrastructure पर बढ़ते कार्यभार को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक कर विभाग के IT Infrastructure का gap analysis विशेषज्ञों से कराया जाना प्रस्तावित है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार विभाग के IT Infrastructure को upgrade किया जायेगा।

IT System तथा Tax Collection प्रक्रिया का सरलीकरण :

242. वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्य कार्य registration, tax collection, return filing, assessment, recovery, refund, declaration form तथा appeal से संबंधित है। इनमें से कई कार्यों को online करने की घोषणा गत बजट में की गई थी जिसमें से अधिकांश कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है। अब विभाग के मुख्य कार्यों को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रोनिक माध्यम से करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कई कदम और उठाये जाने हैं उनमें से कुछ प्रस्तावों का मैं यहां उल्लेख कर रही हूँ।

243. वर्तमान में VAT 47 और 49 declaration forms को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। Dealers की सहूलियत के लिये इन घोषणा पत्रों को mobile phone based application के माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान किया जाना

http://finance.rajasthan.gov.in

प्रस्तावित है। इस नवीन व्यवस्था में विभागीय वेबसाईट अथवा mobile application से प्राप्त किये गये घोषणा पत्रों की system generated information वाहन प्रभारी के mobile phone पर SMS के माध्यम से भी उपलब्ध हो सकेगी। माल के परिवहन के समय वाहन प्रभारी के mobile में system generated SMS होने की स्थिति में घोषणा पत्र की hard copy साथ रखना अनिवार्य नहीं होगा।

244. इसी क्रम में commission agent के माध्यम से की जाने वाली बिक्री के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले VAT 35, 36 & 36A फॉर्म को भी विभागीय वेबसाईट के माध्यम से online जारी किया जाना प्रस्तावित है।

245. गत बजट में विभिन्न सेवाओं के आवेदन इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में VAT अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत determination of disputed questions के लिये online आवेदन किये जाने की सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

246. इसके साथ ही कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपील के लिये memorandum for appeal (VAT-27) तथा application for condonation of delay (VAT-28) को online प्रस्तुत करने की भी व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही इस हेतु देय 50 रुपये कोर्ट फीस को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

247. वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से दी गई छूट के आधार पर concessional VAT rate पर

http://finance.rajasthan.gov.in

सामग्री विक्रय करने हेतु विक्रेता को क्रेता से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण–पत्र लेना होता है, जो उसे assessment के समय कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत निर्धारित इन प्रमाण–पत्रों का एक समान प्रारूप बनाया जाकर इन्हें online जारी करने की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।

248. वर्तमान में VAT और CST Act हेतु एक ही return file किये जाने की सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा का विस्तार करते हुए Entry tax व Luxury tax के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले returns का VAT और CST Act के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले single return के साथ integration किया जाना प्रस्तावित है।

249. वर्तमान में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा Entertainment Tax Act के अतिरिक्त अन्य सभी कर अधिनियमों के अन्तर्गत e-return की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में Entertainment Tax हेतु भी e-return की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।

250. गत वर्ष dealers द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाईट उपयोग करने की one time undertaking प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर VAT व CST return की hard copy प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी। इसी प्रकार dealers द्वारा विभाग की वेबसाईट उपयोग करने की one time undertaking प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर Entry Tax, Luxury Tax तथा Entertainment Tax return की hard copy प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को भी समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

251. वर्तमान में Tax assessment के पश्चात् dealer को due refund हेतु सामान्यतः विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है। Dealer को बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये समय से refund देने हेतु assessment के पश्चात् 30 दिवस के अन्दर स्वतः ही due refund dealer के बैंक खाते में online transfer करने की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2013–14 व इससे आगामी वर्षों से संबंधित Tax assessment के पश्चात् due होने वाले refund हेतु उपलब्ध होगी।

252. वर्तमान में C Form समर्थित inter-state बिक्री पर CST की दर 2 प्रतिशत है, जबकि VAT की Lower tax slab 5 प्रतिशत है। इस कारण ऐसे dealers जिनकी अधिकांश बिक्री inter-state trade के रूप में होती है, उनके ITC refund claim की स्थिति बनती है परन्तु यह refund सामान्यतया assessment के पश्चात् ही जारी किया जाता है। इससे dealer की working capital block होती है। इस समस्या के निराकरण हेतु ऐसे dealers, जिनका गत वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक turnover inter-state sale का है, उन्हें quaterly return प्रस्तुत करने के पश्चात् online आवेदन करने पर e-refund तीस दिवस के भीतर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

253. वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा casual commodities पर कर संग्रहण हेतु Tax Collection Centres का संचालन किया जाता है। इन centres को IT enabled किया जाकर dealers द्वारा इन commodities पर जमा कराये गये कर आदि की सूचना विभाग की वेबसाईट पर

http://finance.rajasthan.gov.in

upload करने की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। इससे ITC verification में dealer एवं विभाग को सुविधा मिलेगी।

254. Dealers को बिना कार्यालय जाये अपील तथा पंजीयन के आवेदन–पत्र के status की जानकारी देने के उद्देश्य से online tracking की सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

255. गत बजट घोषणा की पालना में वाणिज्यिक कर विभाग के सभी जोनल कार्यालयों में PPP मोड पर Dealer Facilitation Centre स्थापित किये गये हैं। इस सुविधा का और विस्तार करते हुए जोनल कर भवन परिसर के बाहर स्थित अन्य सभी Circle कार्यालयों में भी PPP मोड पर Dealer Facilitation Centre स्थापित किये जाने प्रस्तावित है।

256. वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत कुछ परिस्थितियों में कर से मुक्ति अथवा रियायती कर दर का लाभ प्राप्त करने के लिये dealer को बिक्री के समर्थन में VAT declaration form या certificate प्रस्तुत करना होता है। ऐसे dealers जो निश्चित समयावधि में कुछ अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त document प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं, उन्हें राहत देने के उद्देश्य से दिनांक 30 सितम्बर, 2014 तक पूर्ण हो चुके कर निर्धारणों के लिये declaration form व certificate प्रस्तुत करने की समयावधि दिनांक 30 जून, 2015 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

257. उद्योग एवं व्यापार जगत की मांग पर संबंधित वित्तीय वर्ष के quarterly और annual returns में संशोधन हेतु annual return file

http://finance.rajasthan.gov.in

करने की अंतिम तिथि के पश्चात् 15 दिवस का अतिरिक्त समय दिया जाना प्रस्तावित है।

258. वर्तमान में 20 हजार रुपये से अधिक कर देने वाले dealers को मासिक कर जमा कराना होता है। उक्त सीमा को बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इससे 25 हजार से अधिक dealers को मासिक कर के स्थान पर त्रैमासिक कर जमा कराने की सुविधा प्राप्त होगी।

259. Dealers द्वारा वार्षिक अथवा त्रैमासिक return नियत समय में file नहीं करने पर लगने वाली late fee के प्रावधानों को गत बजट में संशोधित किया गया था। उपरोक्त प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए कर देयता वाले dealers के लिये न्यूनतम late fee 1000 रुपये के प्रावधान को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।

260. Works contractor के लिये जारी exemption scheme का दायरा बढ़ाते हुए राज्य के बाहर से क्रय किये गये माल को works contract में उपयोग करने पर भी exemption scheme का लाभ सशर्त दिया जाना प्रस्तावित है।

261. Works contract में principal contractor द्वारा दिये गये sub-contract पर यदि sub-contractor द्वारा कर चुका दिया गया है तो कर की गणना हेतु sub-contractor द्वारा किये गये कार्य के turnover को principal contractor के turnover से deduct किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

VAT अधिनियम में संशोधनः

262. e-commerce के माध्यम से हाल के वर्षों में व्यापार काफी बढ़ा है। ऐसे व्यापार पर सुचारू नियन्त्रण के लिये e-commerce companies द्वारा राज्य में किये जाने वाले कारोबार से संबंधित वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के mandatory प्रावधान VAT अधिनियम में किया जाना प्रस्तावित है।

औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहनः

263. हमारा उद्देश्य राज्य के औद्योगिक वातावरण को invester friendly बनाना है। राज्य में इस उद्देश्य से नये निवेश को प्रोत्साहन के साथ–साथ अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु नई RIPS-2014 जारी की गई है जिसमें कई thrust sectors जैसे पर्यटन, टैक्सटाईल आदि को विशेष लाभ दिये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में बड़े निवेश को आकृष्ट करने के उद्देश्य से 750 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले उद्योगों को capital goods पर और सेवा क्षेत्र के उद्यमों को equipments पर प्रवेश कर से शत–प्रतिशत छूट दी गई है।

264. हमारा लक्ष्य है कि राज्य में अधिक से अधिक निवेश हो तथा राज्य एक औद्योगिक राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाये। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोग्राम, Make in India को हम Make in Rajasthan के रूप में परिकल्पित कर सफल बनाने का संकल्प लेते हैं। इसी क्रम में राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं कुछ और प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ।

http://finance.rajasthan.gov.in

Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS), 2014:

265. राजस्थान में कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट पत्थर आधारित उद्योग प्रमुख स्थान रखते हैं। इन उद्योगों की Vitrified tiles से प्रतिस्पर्धा है। कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट पत्थर से संबंधित manufacturing activities को Thrust Sector में सम्मिलित करते हुए इन उद्योगों को अधिक लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में spliting, polishing, edge cutting, chamfering और calibrating हेतु लगने वाली expansion & new units को देय VAT का 65 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक subsidy के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है।

266. वर्तमान में RIPS-2014 मे Thrust Sector में सम्मिलित Electronic System Design & Manufacture (ESDM) उद्योगों को विशेष लाभ दिये जा रहे है। इस sector में अधिक निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से 250 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली ईकाइयों को 90 प्रतिशत capital investment subsidy और 10 प्रतिशत employment genration subsidy 7 वर्ष के लिये दी जानी प्रस्तावित है। साथ ही 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली ईकाइयों को यह लाभ 10 वर्ष की अवधि के लिये दिया जाना प्रस्तावित है।

267. वर्तमान में RIPS-2014 में Tourism sector को भी Thrust Sector में सम्मिलित किया हुआ है। राज्य में Tourism को बढ़ावा देना भी हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। इस sector को अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस योजना में संशोधन किया जाना प्रस्तावित कर रही हूँ।

http://finance.rajasthan.gov.in

268. RIPS-2014 के अन्तर्गत Tourism sector को देय लाभ प्राप्त करने के लिये Hotel या Motel में निवेश की न्यूनतम सीमा को 5 करोड़ रुपये से घटाकर 2 करोड़ रुपये करते हुए Resort तथा Convention Center को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

269. इसके अतिरिक्त Tourism sector की enterprises को conversion charges तथा development charges में शत–प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

270. रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की केन्द्र सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए ऐसे enterprises जो Defence Sector के लिये माल का निर्माण करते है, को भी RIPS-2014 के अन्तर्गत thrust sector में सम्मिलित कर विशेष लाभ दिये जाने प्रस्तावित है।

271. राज्य में उपलब्ध hard/saline water को पेयजल के रूप में उपयोग करने के लिये desalination की प्रक्रिया आवश्यक है। राज्य में desalination plant की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से desalination plant की स्थापना में निवेश करने वाले enterprises को RIPS-2014 के अन्तर्गत लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

272. राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने तथा विदेशी निवेशकों के लिये अनुकूल वातावरण बनाने के लिये भी हम प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में Japanese Zone में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के लिये inter state sale पर 0.25% की CST दर को दिनांक 31 मार्च, 2016 या

http://finance.rajasthan.gov.in

GST लागू होने तक, जो भी पहले हो, के लिये बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

प्रवेश करः

273. राज्य के औद्योगिक वातावरण को invester friendly बनाने तथा राज्य के उद्योग जगत को राहत देने के उद्देश्य से राज्य में लागू प्रवेश कर की दरों में भी कुछ परिवर्तन प्रस्तावित हैः—

- राज्य के उद्योग जगत द्वारा उद्योगों में प्रयुक्त वस्तुओं पर देय प्रवेश कर में राहत की मांग की गई है। उनकी इस मांग के अनुरूप निम्न वस्तुओं पर से प्रवेश कर हटाया जाना प्रस्तावित हैः—

क्र.सं.	वस्तु का नाम
1.	Tin plate
2.	Coffee, cocoa
3.	Handpumps, their parts and accessories
4.	Photographic film & photographic paper
5.	AC pressure pipes
6.	Salt petre, gun powder, potash and explosives
7.	Wireless reception instruments, apparatus, their parts and accessories
8.	Tuolene, Mix-xylene, Benzene and Mineral turpentine oil
9.	Marble cutting tools, Gang saw
10.	Diamond bits
11.	Batasha, Mishri, Makhana, Sugar toys
12.	Ice-cream
13.	Pipe and pipe fittings
14.	Radio sets and radio gramophones, VCR, VCP, Tape-recorders, Transistor sets and parts and accessories thereof.

http://finance.rajasthan.gov.in

- इसके साथ ही निम्न वस्तुओं पर प्रवेश कर की दरों को कम किया जाना प्रस्तावित है:–

क्र.सं.	वस्तु का नाम	वर्तमान कर दर	प्रस्तावित कर दर
1.	All kinds of industrial fuels including petrol, gasoline, petroleum coke in any form, high speed diesel oil etc.	5	3
2.	All kinds of electrical and electronic goods including electronic meter, FAX Machines, SIM cards and smart cards and parts and accessories thereof.	14	4
3.	Television sets, washing machine, microwave oven	14	4
4.	All kind of Telephone and parts thereof.	5	4
5.	Computers and their accessories	5	4
6.	Parts and accessories of all types of motor vehicles (other than tractors) including two and three wheelers.	15	4
7.	Tyre, tubes and flaps of two wheelers, three wheelers and four wheeler motor vehicles, motor vehicles with more than four wheels or jeep trailers.	14	4
8.	Aluminium structurals, steel fabrication items including G.S. Stay Sets, switch fuse units and isolators.	14	4
9.	Steel structurals and steel bars including Thermo-Mechanically Treated steel bars (TMT)	5	4
10.	Generating sets	14	4

http://finance.rajasthan.gov.in

11.	Transformers and Transformer oil	5	4
12.	Insulators	5	4
13.	ACSR Conductors	5	4
14.	Stay wire	5	4
15.	Glass and glass sheets	14	4
16.	Photo Copiers	14	4
17.	Bitumen of all kinds	14	4
18.	Lubricants including lube oil and grease	14	4

VAT दर संबंधी प्रस्तावः

274. Tax advisory committee में तथा समय–समय पर प्राप्त अन्य सुझावों को ध्यान में रखते हुए आमजन को राहत देने के उद्देश्य से विभिन्न वस्तुओं पर VAT दरों को निम्नानुसार कम किया जाना प्रस्तावित हैः–

- आमजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूजा हवन सामग्री की बिक्री को करमुक्त करने की मैं घोषणा करती हूँ।
- पत्थर की चौखट, जूट रस्सी, कलोन्जी, काली जीरी, Mosquito net, Bird net की बिक्री भी करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
- उम्र बढ़ने के साथ नागरिकों को मोतियाबिन्द हो जाता है। इस ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले Lens की बिक्री को करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

- पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से Marble crazy, marble powder तथा marble chips की बिक्री को करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य के पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोटा स्टोन पर VAT की दर 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की जानी प्रस्तावित है।
- Used hydraulic excavators, Mining Machinery आदि पर used vehicle की तरह ही VAT दर 5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य में efficient energy utilization को ध्यान में रखते हुए CFL Bulb, CFL Tubelite, LED Bulb तथा LED Tubelight पर VAT दर 5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में हवाई सेवा का विशेष महत्व है। पर्यटकों के लिये हवाई सेवा सुलभ हो सके इस हेतु जयपुर के अतिरिक्त अन्य शहरों में scheduled flights के विमानों को ईधन पर कर की दर 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- Restaurant एवं hotels में Cooked Food के साथ Pizza, Burger जैसे Fast food item का विक्रय भी किया जाता है जिस पर वर्तमान में 14 प्रतिशत कर दर है। Restaurant, Three Star से कम श्रेणी वाले होटल तथा Basic Heritage Hotel द्वारा Cooked Food का विक्रय करने पर 5 प्रतिशत

http://finance.rajasthan.gov.in

कर देय है। इस प्रकार इन होटलों तथा Restaurant में Cooked Food पर दो अलग–अलग कर दर होने के कारण व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

- इसके समाधान के लिये Branded Cooked food Chain को छोड़कर शेष Restaurant, Three Star से कम श्रेणी वाले होटल तथा Basic Heritage Hotel में इन fast food items के विक्रय पर भी 5 प्रतिशत VAT दर लागू किया जाना प्रस्तावित है।
- इसके अतिरिक्त 19 items यथा Core assembly of transformers, DG set, Aluminium containers for compressed gas and liquefied gas, Pre-stressed concrete poles, Toilet paper and toilet tissue paper, Brushes excluding Tooth brushes, Soya milk, Non-mechanised Floor wipers & floor mops, Life-jackets & life-belts, Saccharine, Radio, Transistor, Plastic & cotton rope, membrane for water treatment and Abrasive paper पर VAT दर 14 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

275. प्रदेश में विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिये निम्न उपाय प्रस्तावित हैः–

- VAT अधिनियम की Schedule-V की वस्तुओं पर कर दर 14 प्रतिशत से 14.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

- Gems & Stone तथा सर्राफा dealers के लिये वर्तमान में 0.25 प्रतिशत की दर से composition की राशि निर्धारित है जिसे 0.75 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- Mobile Phone पर कर दर 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

विद्युत शुल्कः

276. Diesel Generating Sets के अतिरिक्त अन्य Captive Power Generating Plants द्वारा self generated विद्युत के उपभोग पर 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से electricity duty लगाई जानी प्रस्तावित है।

विलासिता करः

277. मैंने Tourism sector को RIPS-2014 में विशेष लाभ देने की घोषणा की है। गत वर्ष off-season में सभी श्रेणी के होटलों पर लागू विलासिता कर की सामान्य दर में 50 प्रतिशत की छूट दी गई थी। इसी क्रम में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से off-season (तीन माह) में देय विलासिता कर में अब शत–प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

278. राज्य के सभी Marriage Gardens पर Luxury Tax की देयता करते हुए उनको composition scheme का विकल्प उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

279. राज्य सरकार के विभागों, विभिन्न विकास प्राधिकरणों, UIT's, स्थानीय नगरीय निकायों एवं आवासन मण्डल द्वारा संचालित सामुदायिक भवनों में उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं को विलासिता कर से 50 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

पंजीयन एवं मुद्रांकः

280. वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) तथा निम्न आय वर्ग (LIG) के व्यक्तियों के पक्ष में विकास प्राधिकरणों, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड तथा नगर निकायों द्वारा आवंटित आवासों के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर क्रमशः 10 रुपये तथा 25 रुपये की हुई है लेकिन इन दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क में कोई छूट नहीं है। मैं EWS तथा LIG के व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित इन दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क को घटाकर अधिकतम 1000 रुपये करना प्रस्तावित करती हूँ ।

281. स्कूलों, धर्मशालाओं, अस्पतालों जैसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार, स्थानीय निकायों अथवा स्थानीय उपक्रमों को भूमि/भवन आदि का दान करने पर दानदाताओं को ऐसे दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क की छूट के लिये हर बार राज्य सरकार से निवेदन करना पड़ता है। सार्वज़निक प्रयोजनार्थ सम्पत्ति के दान को प्रोत्साहित करने के लिये मैं ऐसे दान पत्रों के दस्तावेजों को स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से पूरी तरह मुक्त करना प्रस्तावित करती हूँ।

282. वर्तमान में बकाया स्टाम्प ड्यूटी पर 12 प्रतिशत वार्षिक compounded दर से ब्याज का प्रावधान है। आमजन को राहत देते हुए

http://finance.rajasthan.gov.in

ब्याज दर को 12 प्रतिशत compound interest के स्थान पर 12 प्रतिशत simple interest किया जाना प्रस्तावित है।

283. वर्तमान में बकाया स्टाम्प ड्यूटी पर पेनल्टी दर 2 प्रतिशत प्रति माह निर्धारित है। आमजन को राहत देते हुए पेनल्टी की दर को घटाकर 1 प्रतिशत प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है।

284. बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवास के लिये भूमि की कमी के कारण वर्तमान में बहुमंजिला भवनों का प्रचलन बढ़ रहा है। इस प्रकार सभी को आवास उपलब्ध कराने में बहुमंजिला भवनों की अहम भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला भवनों के अधीन भूमि के proportionate मूल्यांकन की वर्तमान दरों में कमी किया जाना प्रस्तावित है।

285. कम्पनी, फर्म अथवा संस्था द्वारा कृषि भूमि का क्रय किया जाकर राज्य सरकार की किसी योजना के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ लिये जाने पर वर्तमान में कृषि भूमि का मूल्यांकन क्रय प्रयोजन के अनुसार तथा अन्य मामलों में यह मूल्यांकन कृषि भूमि की डेढ़ गुणा दर से किया जाता है। मूल्यांकन के इन अलग–अलग मापदण्डों को समाप्त करते हुए कम्पनी, फर्म अथवा संस्था द्वारा कृषि भूमि का क्रय करने पर ऐसी भूमि का मूल्यांकन कृषि भूमि की सामान्य दर से किया जाना प्रस्तावित है।

286. स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त अधिकांश राजस्व अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण दस्तावेजों से प्राप्त होता है। अचल सम्पत्ति का जितनी बार

http://finance.rajasthan.gov.in

हस्तान्तरण होगा उतनी बार राज्य को राजस्व भी प्राप्त होगा। अतः रिक्त भूखण्डों के पंजीकृत हस्तान्तरण को प्रोत्साहित करने के लिये ऐसे भूखण्ड के एक वित्तीय वर्ष में प्रथम हस्तान्तरण के बाद उसी अवस्था में उसी वित्तीय वर्ष में पुनः हस्तान्तरण होने पर प्रत्येक हस्तान्तरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी की कुल राशि में 10 प्रतिशत की रियायत दिया जाना प्रस्तावित है।

287. छोटे भूखण्ड की तुलना में बड़े भूखण्डों का मूल्य अधिक होने से उन पर स्टाम्प ड्यूटी का भार अधिक आता है। अतः बड़े भूखण्डों के क्रय–विक्रय के transactions को प्रोत्साहित करने के लिये 1000 वर्गमीटर से बड़े आकार के आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्डों के मूल्यांकन में रियायत दिया जाना प्रस्तावित है।

288. राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी है। अतः निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए Sponsoring Body द्वारा Private University की स्थापना के समय उसके पक्ष में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण हेतु निष्पादित दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दिया जाना प्रस्तावित है।

289. Operation Vijay (Kargil) व अन्य रक्षा operations में शहीद होने वाले सैनिकों की विधवाओं (War Widows) के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा आवंटित भवन/फ्लेट पर देय स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क माफ है। इनके पक्ष में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या सहकारी समितियों से ऋण के संबंध में निष्पादित mortgage deed पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूर्ण माफ करने की घोषणा करती हूँ।

http://finance.rajasthan.gov.in

290. वर्तमान में RIICO क्षेत्र एवं RIICO क्षेत्र से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित औद्योगिक भूमि की दरें RIICO क्षेत्र में लागू दरों के समान रखी गई है। सुनियोजित तरीके से विकसित RIICO क्षेत्र के मुकाबले उसके बाहर स्थित औद्योगिक भूमियों में RIICO क्षेत्र के समान विकास व अन्य सुविधाऐं उपलब्ध नहीं होने के कारण उनमें RIICO की दरें लागू करने से उद्यमियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः RIICO क्षेत्र से बाहर स्थित औद्योगिक भूमियों के लिये पृथक से तर्कसंगत दरें निर्धारित की जाकर ऐसी दरों को लम्बित प्रकरणों के लिये भी लागू किया जाना प्रस्तावित है।

291. वर्तमान में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आवंटित/बेचान की गई भूमि के संबंध में निष्पादित अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित intermediary documents पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत पर स्टाम्प ड्यूटी देय है। इस श्रेणी के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना में आमजन को आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ऐसे दस्तावेजों के निष्पादन की समयावधि के अनुसार वर्तमान बाजार मूल्य के निश्चित प्रतिशत पर स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

292. स्टाम्प अधिनियम के Schedule के Article 5 के तहत loan agreement तथा Article 6 के तहत equitable mortgage deed पर वर्तमान में 0.1 प्रतिशत की दर से तथा बिना कब्जे वाले सामान्य mortgage deed पर Article 37 (b) के तहत 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी देय है। इन तीनों श्रेणी के दस्तावेजों की प्रकृति लगभग

http://finance.rajasthan.gov.in

एक समान होती है तथा इनमें सम्पत्ति का कब्जा दिये जाने का प्रावधान नहीं होता है। अतः इन तीनों श्रेणी के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की एक समान दर 0.15 प्रतिशत निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

293. निर्माण की विभिन्न श्रेणियों तथा stages को वर्गीकृत करते हुए stamp duty की गणना के लिये निर्माण की श्रेणी के अनुसार उनके मूल्यांकन की दरों को तर्कसंगत करने तथा निर्माण की stages की बाजार दरों का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।

294. पुराने निर्माणों पर depreciation की जटिल एवं अव्यवहारिक व्यवस्था को समाप्त करते हुए पुराने निर्माणों पर depreciation की दरों के लिये एक सरल एवं व्यवहारिक व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है।

295. वर्तमान में जिला स्तरीय समितियों द्वारा जिलों में भिन्न–भिन्न मापदण्डों से भूमि की बाजार दरें निर्धारित की जाती हैं जिसके कारण पूरे राज्य में भूमि की दरों के निर्धारण में एकरूपता का अभाव बना रहता है। सम्पूर्ण राज्य में समान मापदण्डों पर भूमि दरों के निर्धारण हेतु जिला स्तरीय समितियों के लिये प्रति वर्ष Guidelines तैयार करने के लिये नियमों में संशोधन कर महानिरीक्षक, स्टाम्प को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

296. गत वर्ष बजट में कृषि, आवासीय एवं वाणिज्यिक से भिन्न श्रेणी की भूमियों की पूरे राज्य में एक समान मापदण्ड से दरें राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित किये जाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम

http://finance.rajasthan.gov.in

में 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के कृषि भूखण्डों, कार्नर भूखण्डों तथा अन्य श्रेणी की भूमियों की तर्कसंगत दरें निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

297. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के तहत कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित निर्णय का revision राजस्थान टैक्स बोर्ड में होता है। राजस्थान टैक्स बोर्ड में बड़ी राशि के मामलों का समुचित परीक्षण कर निर्णय प्राप्त करने के लिये 10 लाख रुपये से अधिक मांग राशि के मामलों की सुनवाई टैक्स बोर्ड की दो या दो से अधिक सदस्यों की पीठ द्वारा किये जाने के लिये नियमों में प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

298. विकास प्राधिकरणों एवं नगरीय निकायों द्वारा मिश्रित भू–उपयोग के लिये भूमि के पट्टे जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान में मिश्रित भू–उपयोग की भूमि के लिये पृथक से बाजार दरें निर्धारित नहीं होने के कारण इनके मूल्यांकन में कठिनाई आती है। अतः विकास प्राधिकरणों एवं नगरीय निकायों द्वारा भूमि के मिश्रित भू–उपयोग के लिये जारी पट्टों के मामलों में भूमि की पृथक से दरें निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

299. सम्पत्तियों के पंजीयन में आमजन को सुविधा देने की दृष्टि से गत बजट में मैंने 40 उप–पंजीयक कार्यालयों को पूर्ण कम्प्यूटरीकृत करने की घोषणा की थी। ये 40 उप–पंजीयक कार्यालय पूर्ण कम्प्यूटरीकृत हो चुके हैं। अब नये वित्तीय वर्ष से द्वितीय चरण में प्रदेश के 80 और उप–पंजीयक कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

300. मैंने इस वित्तीय वर्ष में राज्य के 62 स्वतन्त्र उप–पंजीयक क्षेत्रों में e-stamp उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। e-stamp व्यवस्था को पूरे राज्य में लागू करने के क्रम में e-stamp के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत Central Record Keeping Agency द्वारा चयनित stamp vendors तथा अन्य agencies के माध्यम से राज्य के शेष 23 स्वतन्त्र उप–पंजीयक कार्यालयों तथा 50 पदेन उप–पंजीयक कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से e-stamp व्यवस्था का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही पचास हजार से अधिक स्टाम्प ड्यूटी देय होने वाले दस्तावेजों में physical stamp के स्थान पर केवल e-stamp का ही उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

301. जिन दस्तावेजों पर मूल्यानुसार (ad valorem) स्टाम्प ड्यूटी देय है उन दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत एवं अधिकतम 50000 रुपये देय है। पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा को हटाया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव से 50 लाख रूपये तक मूल्य के दस्तावेजों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आयेगा।

302. वित्तीय संस्थाओं के मध्य debt assignment के दस्तावेजों पर सम्पत्ति के बिना कब्जे वाले अन्य ऋण दस्तावेजों के समान स्टाम्प ड्यूटी की दर को 0.15 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

303. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची में Bank Guarantee पर पृथक से स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधान नहीं हैं। Bank Guarantee के दस्तावेज को Rajasthan Stamp Act के Schedule में

http://finance.rajasthan.gov.in

पृथक से जोड़कर इस पर 0.25 प्रतिशत और अधिकतम 25 हजार रुपये स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

304. पैतृक सम्पत्ति से संबंधित Release Deed के वर्तमान प्रावधानों को व्यापक बनाकर कतिपय नजदीकी रिश्तेदारों के मध्य निष्पादित अचल सम्पत्ति की Release Deed पर स्टाम्प ड्यूटी की 100 रुपये की वर्तमान दर को बढ़ाकर 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

305. Adoption deed, affidavit तथा कतिपय श्रेणी की power of attorney पर देय स्टाम्प ड्यूटी की वर्तमान दरों को अन्य राज्यों में इन दस्तावेजों पर प्रभावी दरों को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत किया जाना प्रस्तावित है।

306. वर्तमान में arms licences पर स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान नहीं है। Arms licences को राजस्थान स्टाम्प अधिनियम schedule में सम्मिलित करते हुए व्यक्तियों तथा dealers के पक्ष में जारी किये जाने वाले arms licences तथा उनके नवीनीकरण पर श्रेणी अनुसार विभिन्न दरों से स्टाम्प ड्यूटी लिया जाना प्रस्तावित है।

खान विभागः

307. Rajasthan Minor Mineral Concessions Rules, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में खनिज marble powder पर royalty 65 रुपये प्रतिटन देय है। पर्यावरण संरक्षण के लिए मार्बल के मलबे के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से खनिज

http://finance.rajasthan.gov.in

marble powder पर रॉयल्टी की देयता समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्व एवं उपनिवेशनः

308. उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के सभी श्रेणी के आवंटियों को कृषि भूमि आवंटन के पेटे बकाया किश्तों की राशि को दिनांक 1 अप्रेल, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 तक एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

परिवहनः

309. वर्तमान में differently abled persons के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली Invalid Carriage पर देय एक बारीय कर में 100 प्रतिशत छूट है। ऐसे Carriage की उपलब्धता नहीं के बराबर होने के कारण इस छूट का लाभ physically challenged व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है। Physically challenged लोगों के लिये retro fitment के माध्यम से इन Invalid Carriage को adaptable बनाया जाता है। अतः physically challenged लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली 8 लाख रुपये तक की कीमत वाले ऐसे Adapted Invalid Carriage पर देय एक बारीय कर में 100 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

310. महिलाओं के सशक्तिकरण को दृष्टिगत रखते हुये नियमों में संशोधन कर लर्निंग लाइसेन्स एवं चालक लाइसेन्स फीस में 50 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

311. मैंने अभी RIPS-2014 के अन्तर्गत Tourism sector को कई लाभ प्रस्तावित किये है। पर्यटन के क्षेत्र में Recognised Tour Operators का भी अहम योगदान है। इसी क्रम में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु recognised tour operators की exclusive रूप से पर्यटकों को परिवहन करने वाली 30 बैठक क्षमता से अधिक की AC coaches पर (sleeper coaches को छोड़कर) देय Special Road Tax में तीन वर्ष तक रियायत दिया जाना प्रस्तावित है।

312. पिछले बजट में 7500 किलोग्राम Gross Vehicle Weight तक के भार वाहन तथा Taxi एवं Maxi Cab श्रेणी के दिनांक 01.08.2014 से नये पंजीकृत होने वाले वाहनों पर एक वर्ष में 6 समान किश्तों में जमा कराने के विकल्प के साथ एक मुश्त कर अनिवार्य रूप से आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान अब इन्ही श्रेणियों के दिनांक 01.04.2007 या इसके बाद पंजीकृत हुये वाहनों पर भी लागू किया जाना प्रस्तावित है।

313. केन्द्र सरकार के स्तर पर गठित Transport Development Council द्वारा सभी प्रकार के Non-transport vehicle पर 6 प्रतिशत की दर से एक बारीय कर की Floor Rate अपनाये जाने की अनुशंसा की गई है। 125 सी.सी. तक इंजन क्षमता वाले दुपहिया वाहनों पर 6 प्रतिशत की दर से एक बारीय कर आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।

314. Purely off-highway vehicle की नई श्रेणी राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 में परिभाषित की गई है। इन वाहनों पर chassis के रूप में क्रय करने पर 7.5 प्रतिशत की दर से तथा

http://finance.rajasthan.gov.in

Complete Body के साथ क्रय किये जाने पर 6 प्रतिशत की दर से एक बारीय कर आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।

315. राज्य की परमिट धारी यात्री बसों के मोटर वाहन कर की वार्षिक देयता पर दिनांक 01.07.2003 से 12,000 रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की हुई है। इस अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

316. इस वित्तीय वर्ष में वाणिज्यिक कर विभाग, खान विभाग एवं पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा जारी की गई Amnesty Scheme का लाभ राज्य के dealers तथा नागरिकों द्वारा काफी संख्या में उठाया जा रहा है तथा राज्य को भी राजस्व की प्राप्ति हो रही है। इसी क्रम में वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से Amnesty Scheme लाई जाना प्रस्तावित है।

317. इस Amnesty Scheme के अन्तर्गत ऐसे वाहन जो अस्तित्व में नहीं है तथा नष्ट हो चुके है को vehicle destruction का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर वाहन के नष्ट होने की तिथि के बाद का कर एवं penalty माफ करना प्रस्तावित है। इस हेतु वाहन मालिक को बकाया राशि दिनांक 30.06.2015 तक जमा करवानी होगी, तथा इसके पश्चात् वाहन का पंजीयन प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

318. इसके साथ ही मोटर वाहनों पर दिनांक 31.03.2012 तक के बकाया कर को दिनांक 30.06.2015 तक जमा कराने पर इस पर देय penalty को माफ किया जाना प्रस्तावित करती हूँ ।

http://finance.rajasthan.gov.in

319. मेरे इन कर प्रस्तावों से लगभग 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय सम्भावित है, तथा 200 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गई है।

320. इन प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य एवं प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

321. साथ ही मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों एवं घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु तथा कुछ वस्तुओं में कर संबंधी संशोधन एवं अन्य प्रयोजनार्थ भी कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।

http://finance.rajasthan.gov.in

संशोधित अनुमान 2014–15 एवं बजट अनुमान 2015–16 :

322. मैं सदन को यह बताना चाहूंगी कि भारत सरकार ने वर्ष 2014–15 के बजट अनुमानों में राज्य को केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में 22 हजार 432 करोड़ रुपये देने का अनुमान किया था, परन्तु भारत सरकार के संशोधित अनुमानों के अनुसार इसमें 2 हजार 615 करोड़ रुपये की कमी आई है। जहां एक ओर क्रूड ऑयल एवं पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी से राज्य को कम राजस्व प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर केन्द्रीय योजनाओं में केन्द्रीय अंशदान भी कम प्राप्त होने का अनुमान है। इन सब कारणों से संशोधित अनुमान 2014–15 में 4 हजार 219 करोड़ 61 लाख रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित है।

323. राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं के आगामी वर्ष के बजट अनुमान, केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के प्रारम्भिक आकलन के आधार पर तैयार किये गये हैं। भारत सरकार ने अपने बजट में विभिन्न योजनाओं के sharing pattern को बदलने के संकेत दिये हैं। कुछ योजनाओं को समाप्त भी कर दिया है। योजनाओं के नये दिशा–निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु प्रारम्भिक आकलन के अनुसार इन योजनाओं में केन्द्र सरकार से मिलने वाली राशि में काफी कमी होना संभावित है।

324. संशोधित अनुमान वर्ष 2014–15 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

1.	राजस्व प्राप्तियाँ	96	हजार	668	करोड़	33	लाख	रुपये
2.	राजस्व व्यय	1	लाख	887	करोड़	94	लाख	रुपये
3.	राजस्व घाटा	4	हजार	219	करोड़	61	लाख	रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियाँ	29	हजार	546	करोड़	05	लाख	रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय	25	हजार	223	करोड़	69	लाख	रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य	4	हजार	322	करोड़	36	लाख	रुपये

http://finance.rajasthan.gov.in

325. वर्ष 2015–16 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

1.	राजस्व प्राप्तियाँ	1	लाख	11	हजार	361	करोड़	66	लाख	रुपये
2.	राजस्व व्यय	1	लाख	10	हजार	804	करोड़	84	लाख	रुपये
3.	राजस्व आधिक्य					556	करोड़	82	लाख	रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियाँ			26	हजार	526	करोड़	03	लाख	रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय			26	हजार	908	करोड़	54	लाख	रुपये
6.	पूंजी खाते में घाटा					382	करोड़	51	लाख	रुपये

राजस्व आधिक्य :

326. वर्ष 2015–16 के मूल अनुमानों में 556 करोड़ 82 लाख रुपये का राजस्व आधिक्य रहने का अनुमान है।

राजकोषीय घाटा :

327. वर्ष 2015–16 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 20 हजार 609 करोड़ 75 लाख रुपये अनुमानित है, जो कि GSDP का 2.99 प्रतिशत है।

328. मैं, वर्ष 2015–16 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रही हूँ। साथ ही, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्त्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की अपेक्षानुसार मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीतियुक्त विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण, मैं सभा पटल पर रख रही हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

329. इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ।